राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2017-18

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(NICDIT)

INDEX

FINANCIAL YEAR 2017-18

S. No.	Particulars	Page No.
	Hindi	
1	Performa to be attached to O.M. forwarding papaers to be laid on the table of Rajya Sabha	1
2	Statement Explaining Reasons for Delay in Laying of Annual Report and Annual Accounts on the Table of both the Houses of Parliament	2
3	Annual Report	3 - 24
4	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India certifying the Annual Account for the financial year 2017-18	25 - 29
5	Certified Annual Accounts for the financial year 2017-18	30 - 41
	English	
1	Performa to be attached to O.M. forwarding papers to be laid on the table of Rajya Sabha	42
2	Statement Explaining Reasons for Delay in Laying of Annual Report and Annual Accounts on the Table of both the Houses of Parliament	43
3	Annual Report	44 - 60
4	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India certifying the Annual Account for the financial year 2017-18	61 - 65
5	Certified Annual Accounts for the financial year 2017-18	66 - 77

राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के लिए भेजे जाने वाले दस्तावेजों के का.ज्ञा. के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रपत्र

1	अधिसूचना/दस्तावेज की विषय वस्तु का संक्षिप्त उद्देश्यः	:	राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (पूर्व डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड) भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा राज्य सभा के पटल पर रखी जानी अपेक्षित है।
2	सांविधिक अथवा अन्य अपेक्षाएं जिनके अंतरर्गत दस्तावेज सभा पटल पर रखी जानी है (न कि सांविधिक प्रावधान जिनके अंतर्गत इन्हें जारी किया गया है/बनाया गया है।	:	जीएफआर, 2017 का नियम 242
	(i) केंद्र सरकार की अधिसूचना के मामले में अधिनियम और धारा का नाम जिसमें पटल पर रखे जाने का प्रावधान है, को स्पष्ट रूप से लिखा जाएः	:	-
	(ii) राज्य सरकार के मामले में अधिसूचना,राज्य के अधिनियम का नाम पुनर्भाषित किया जाएः	:	-
3	क्या राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, यदि हां,	:	-
	(i) राजपत्र मे प्रकाशेत आधिसूचना का जीएसआर./ एसओ/एसआरओ. संख्याः		
	(ii) राजपत्र की तारीख,भाग और धारा:		
4	क्या विषय सभा द्वारा संशोधित की जानी है अथवा नहीः	:	नहीं
5	मुख्य अधिनियम में निर्धारित अवधि जबतक इसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैः	:	संसद सत्र- 2018 के दौरान
6	क्या अधिसूचना/दस्तावेज निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत की जा रही है,यदि नहीं तो क्या विलंब के बारे में कोई विवरण संलग्न किया गया है ?	:	नहीं, संसद के पटल पर वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण पत्र संलग्न है।
7	क्या इसे राज्य सभा के पटल पर इससे पहले भी प्रस्तुत किया गया था यदि हां, तो किस तारीख को?	:	नहीं
8	क्या अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत किए जा रहें? यदि नहीं,तो अंग्रेजी रूपांतर प्रस्तुत किए जाने की तारीखः	:	हाँ
9	तारीख जब दस्तावेज को सभा के पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव हैः	:	संसद सत्र- 2019 के दौरान

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में देरी के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण:

डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड की स्थापना ट्रस्ट डीड के निष्पादन के (न्यास विलेख) 27 माध्यम से सितंबर 2012 ,को की गई थी। दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के जनादेश के विस्तार और सभी औद्योगिक कॉरिडोरों, जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, के एकीकृत विकास के लिए इसके पुन: पदनाम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के लिए अपनी मंजूरी दी। ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा एनआईसीडीआईटी के खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के दिनांक 16 मार्च, 2018 के पत्र सं. 1(5)-बी(आरएंडसी)/2018 द्वारा आगे की पांच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 तक के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को एनआईसीडीआईटी के खातों की लेखा परीक्षा सौंपी गई।

लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के परिपत्र संकल्प द्वारा बोर्ड ट्रस्टियों के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के पत्र द्वारा बोर्ड ट्रस्ट्रियों द्वारा वार्षिक लेखों को अनुमोदित करने वाले संकल्प की प्रति सहित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एनआईसीडीआईटी के अनुमोदित वार्षिक लेखे सीएंडएजी कार्यालय भेजे गए।

24.10.2018 से 02.11.2018 की अवधि के दौरान सीएंडएजी कार्यालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा टीम द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा टीम को आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए थे और यह 2 नवंबर, 2018 को पूरी हई। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीडीआईटी के वार्षिक खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को पत्र सं पीडीसीए-1/ एनडी/ सीएचक्यू/29-62 / 18-19 / 1226 दिनांक 29 जनवरी, 2019 सीएंडएजी के कार्यालय से जारी कर दिया गया है।

सीएंडएजी कार्यालय द्वारा एक बार जारी किए गए प्रमाणित वार्षिक लेखों के साथ पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के पास भेजने से पूर्व न्यासी बोर्ड ट्रस्टियों के सम्मुख रखे जाने की आवश्यकता है। सीएंडएजी द्वारा जारी की गई अलग पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा परिपत्र संकल्प दिनांक 12 जून, 2019 के लिए नोट किया गया था।

उपरोक्त देरी के कारण, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीडीआईटी के प्रमाणित वार्षिक खातों के साथ पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र 2018 के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
(वित्तीय वर्ष 2017-18)

15 सितंबर, 2011 को भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा 27 सितंबर, 2012 को डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड को निगमित किया गया था।

22 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के मैंडेट और दायरे के विस्तार को अनुमोदन दिया और इसे भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे सभी इंडस्ट्रियल गलियारों के एकीकृत विकास हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:नामित किया गया। एनआईसीडीआईटी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। सरकार ने भी निम्नलिखित संरचना के साथ एनआईसीडीआईटी के टस्ट्री बोर्ड के गठन को अनुमोदित किया है:

1. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
2. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
3. सचिव, आर्थिक मामले विभाग, सदस्य;
4. सचिव, सड़क यातायात एवं राजमार्ग, सदस्य;
5. सचिव, जहाजरानी, सदस्य;
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
7. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
8. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य सचिव

एनआईसीडीआईटी के कार्य और भूमिका निम्नानुसार है:

क) औद्योगिक गलियारों के विकास हेतु एक सक्षम संस्थानिक, वित्तपोषण और परिचालनिक ढांचा स्थापित करना;

ख) नए औद्योगिक गलियारों, अंत:संपर्क बिंदुओं (नोड), शीघ्र शुरू होने वाली परियोजनाओं

और स्टैंड एलोन प्रोजेक्टों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग) सभी परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करना और विशेष प्रयोज्य योजना (एसपीवी) को इक्विटी अथवा ऋण को स्वीकृति देना और वित्तीय शक्तियों के अनुमोदित प्रत्ययोजन के अनुसार परियोजना के लिए अनुदान;

घ) नॉलेज पार्टनर(रों), विशेष प्रयोज्य योजना(ओं) और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास गतिविधियों को समर्थन देना और राज्यों को उद्योगों हेतु प्रमुख निवेशकों की पहचान में सहायता करना;

ङ) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का उपयोग कर आवश्यकतानुसार ऋण/इक्विटी से धन जुटाना;

च) पिछले अनुच्छों के तौर-तरीकों को कार्यान्वित करने हेतु समय-समय पर जैसी आवशयक हो, राज्य सरकारों/परियोजना आधारित विशेष प्रयोज्य योजनाओं/ सावर्जनिक/ निजी संगठनों के साथ करार करना;

छ) विशेषतौर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शीघ्र शुरू होने वाली परियोजनाओं की पहचान करना जिन्हें पीपीपी मॉडल में विकसित किया जा सकता है, ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु धन उपलब्ध कराना। बहरहाल, शहर/नोड विकास के लिए भूमि आवश्यक रूप से राज्य की इक्विटी होगी और उनके द्वारा अधिगृहीत की जाएगी और पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

एनआईसीडीआईटी की संस्थानिक रूपरेखा निम्नानुसार है:

क. एनआईसीडीआईटी का बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण की प्रगति और प्रत्येक औद्योगिक शहर के कार्य के वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, एसपीवी के लिए ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के विकल्प, धन की मात्रा, निबंधन एवं शर्तें और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के वितरण कार्यक्रम को अनुमोदन एवं स्वीकृति देगा। इसी प्रकार, परियोजना विकास के लिए नॉलेज पार्टनर(रों) को अनुदान कार्य की प्रगति के अनुसार चरणों में दिया जाएगा।

ख. एनआईसीडीआईटी वित्तीय संस्थानों से दीर्घावधि वित्तपोषण जुटाने और औद्योगिक गलियारों के विकास को समर्थन हेतु यथोचित अनुमोदन प्राप्त कर, कर मुक्त बांडों, पूंजी लाभ बांडों, साख संवर्धन आदि के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का दोहन करेगा।

ग. एनआईसीडीआईटी में भारत सरकार का योगदान वापिस आने वाले कॉर्पस के रूप में होगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में निवेश एनआईसीडीआईटी द्वारा किया जाएगा ताकि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का उपयोग कर एसपीवी द्वारा ऋण सेवाओं के भुगतान और अभी तक डीएमआईसीडीसी द्वारा तैयार विकसित सहित एसपीवी के इक्विटी विनिवेश द्वारा उत्पन्न राशि पुन: कार्पस में शामिल हो सके, यह एनआईसीडीआईटी को भविष्य में इस प्रकार की और औद्योगिक शहरों के विकास करने में सक्षम बनाता है। केन्द्रीय/शहरी स्तर के एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकार की उचित गारंटियों से साख संवर्धन द्वारा दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण कर सकते हैं ताकि यह बीमा और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए व्यवहार्य हो। केंद्रीय/शहरी स्तर के एसपीवी को उपयोगकर्ता हितैषी वित्तपोषण, मूल्य नवप्रवर्तन, और विभिन्न पीपीपी प्रबंधों द्वारा सुपुर्दगी जैसे नवीन अवसंरचना वित्तपोषण और सुपुर्दगी साधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता होगी। ऋण अथवा किसी भी अन्य रूप में जुटाया गया धन राज्य का योगदान माना जाएगा।

घ. पीपीपी परियोजनाओं के वित्तीय समर्थन हेतु उनको रूप देने, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजना में प्रचलित दिशा-निदेशों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) की पात्र होंगी। औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए सचिव, डीपीआईआईटी और सदस्य-सचिव, एनआईसीडीआईटी सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/विकास योजनाओं के अनुरूप समन्वित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में औद्योगिक गलियारों में वीजीएफ के लिए सभी प्रस्ताव एनआईसीडीआईटी द्वारा जांचे और अनुशंसित किए जाएंगे।

ङ. प्रत्येक औद्योगिक शहर/नोड को भारत सरकार द्वारा औसतन 2500 करोड़ रुपए का समर्थन होगा जो अधिकतम 3000 करोड़ रुपए तक का होगा जो भौगोलिक स्थिति, आकार, राज्य का योगदान और विकासत्मक आवश्यकता पर निर्भर करेगा। प्रत्येक शहर/नोड के

लिए वास्तविक आवश्यकता भूमि की लागत और अवसंरचना विकास और भूमि अधिग्रहण/भूमि एकत्रीकरण हेतु वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की योग्यता पर अलग-अलग हो सकती है। राज्य सरकार का योगदान भूमि अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित किसी भी स्रोत से जुटाए गए अन्य धन द्वारा होगा। हालांकि गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रति शहर कुल आवश्यकता बहुत अधिक और शहर दर शहर, अलग-अलग हो सकती है, ऊपर उल्लेख की गई राशि इन औद्योगिक शहरों/नोडों के विकास के प्रथम चरण को सक्रिय करने के लिए भारत सरकार से मांगी जा रही है। बाद में, धन आंतरिक मौद्रिकीकरण द्वारा जुटाया जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

एनआईसीडीआईटी अपने सामने रखे गए गैर-पीपीपी परियोजनाओं के सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा। एनआईसीडीआईटी बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर, यह अभी तक 300 करोड़ रुपए की राशि वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करेगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक वाली परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक वाले प्रस्तावों को वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक वाले सभी प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) को प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ट्रस्टी बोर्ड ने 23 अगस्त, 2017 और 6 मार्च, 2018 बैठक आयोजित की।

डीएमआईसी नोड्स की योजना और निरंतरता के संबंध में अपनाई गई विशेषताएं:

विकासाधीन डीएमआईसी नोड्स एक ऐसा स्थायी दृष्टिकोण अपनाते है जो मुक्त हरित क्षेत्र, सार्वजनिक पारगमन और आवागमन उन्मुखी विकास (टीओडी), अक्षय उर्जा को प्रोत्साहन, पारंपरिक उर्जा के प्रयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण एवं पुन: प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित करना, और ठोस परिशिष्ट सामग्री एकत्र करना और पुन: उपयोग में लाने की योजना सहित लो कार्बन सिटी (एलसीसी) विकसित करने में सहायता के लिए आधारभूत कार्य करते हैं। प्रमुख अवसंरचना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है जो सभी नोड्स में अपनाई गयी है:

क) सभी सुविधा संबंधी कार्य भूमिगत किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप भूमि का बेहतर उपयोग होता है। वे सभी प्रमुख मार्गों से दूर है ताकि अनुरक्षण और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य मार्ग प्रभावित न हो।

ख) बस स्टैंड को 400 मीटर की दूरी पर बनाए जाने की योजना है। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम संपर्कता विकल्प उपलब्ध कराये जायेंगे। यातायात पर प्रभाव न्यूनतम करने के लिए बस बे/बस स्टॉप का प्रावधान किया गया है।

ग) अवशिष्ट जल को एसटीपी और सीईटीपी द्वारा एकत्रित एवं पुन प्रयोग हेतु तैयार किया जाएगा और इसे गैर-पेयजल उद्देश्य से शहर में पुन: वितरित किया जाएगा। किसी भी जल अधिकता और कुशलता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। स्थायी हल के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेएलडी) को अपनाया जाएगा। औद्योगिक और घरेलू लाइनों के पृथक-पृथक सीवर लाइनों को प्रदान किया जायेगा।

घ) शहरी स्तर पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल संरक्षण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए धोलेरा में 2500 मिलियन लिटर से अधिक की क्षमता वाला 100 मीटर चौड़े चैनल का उपयोग वाटर हार्वेस्टिंग, पार्कों की सिंचाई के साथ-साथ गैर-पेयजल उद्देश्य आदि के लिए किया जाएगा।

ङ) ग्रीन फील्ड सिटी के लिए संपूर्ण अवसंरचना वास्तविक समय पर सूचना तैयार करने और एक कुशलतापूर्ण तरीके से परिचालित एवं प्रबंधित करने हेतु स्काडा, सेंसरों और ऑटोमेशन के साथ तैयार करने की योजना है। यह इंटेलीजेंट परिवहन प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, डिजीटल हेल्थ एवं एजुकेशन, इमरजंसी और सिटी ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाएगा।

च) खुले हरित क्षेत्रों के लिए अनुक्रम के कोटिकरण द्वारा हरित क्षेत्रों की योजना निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट पैदल की दूरी पर नजदीकी पार्क;
ii. दस मिनट पैदल की दूरी पर सामुदायिक पार्क
iii. शहर के भीतर नहर के साथ-साथ पार्क;

छ) सार्वजनिक परिवहन माध्यम और गैर-मोटरीकृत माध्यम के साथ सुरक्षित और स्थायी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की योजना।

ज) सामाजिक अवसंरचना सहित क्लस्टरों में पार्किंग सुविधाओं के साथ प्रमुख ट्रांजिट इंटरचेंजों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की योजना।

झ) सभी झीलों को संवारा जा रहा है और जल सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नहरों की भी योजना है और यह निवासियों के लिए मनोरंजन स्थल भी उपलब्ध कराता है।

ञ) घर से पैदल आने-जाने और प्रदूषण कम करने के लिए चौड़े फुटपाथ और साइकिल ट्रैक।

ट) सभी प्लॉटों और परिसंपत्तियों पर नजर रखने के लिए एक व्यापक वेब आधारित जीआईएस ऐप्लिकेशन। भूमि के संबंध में सूचना प्राप्त करने, आवेदन करने और आबंटन हेतु अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए व्यापक ऑनलाइन लैंड मैनेजमेंट सिस्टम।

व्यापार और परिचालन की समग्र समीक्षा

परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य विशेषताओं की झलक निम्नानुसार है:

1. डीएमआईसी परियोजना के मामले में, प्रमुख अवसंरचना संबंधित गतिविधियों का निर्माण निम्नलिखित चार स्थानों पर पूरे जोर पर है:

    - गुजरात में धोलेर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए एक्टीवेशन क्षेत्र माप 22.5 वर्ग किमी;
    - महाराष्ट्र में शेन्द्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का चरण-1 माप 18.55 किमी
    - ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में एकीकृत इंडस्ट्रियल परियोजना माप 747.5 एकड़;
    - उज्जैन, मध्य प्रदेश में एकीकृत इंडस्ट्रियल परियोजना माप लगभग 1100 एकड़

2. भूमि आबंटन नीतियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। गुजरात के धोलेरा स्पेशन इन्वेस्टमेंट रीजन में 2 प्लॉट, उत्तर प्रदेश के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिम में 4 प्लॉट, मध्य प्रदेश के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप विक्रम उद्योग पुरी में 1 प्लॉट आबंटित किया गया है;

3. आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम और कर्नाटक में तुमकुरू नोड के लिए शेयरधारक करार (एसएचए) स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और परियोजना के एसपीवी को भी निगमित किया गया है;

4. ऊपर विशेष रूप से दर्शाइ गई परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए भी परियोजना संबंधी विकासात्मक गतिविधियों शुरू की जा रही है:

    - हरियाणा में गुड़गांव से बावल और गुजरात में अहमदाबाद से धोलेरा तक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस);
    - हरियाणा में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएल) प्रोजेक्ट, नांगल चौधरी;
    - हरियाणा में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट
    - दादरी, उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच);
    - गुजरात के साणंद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क;

- गुजरात में धोलेरा में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना;
- राजस्थान में एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट;

डीएमआई प्रोजेक्टों की राज्य-वार प्रगति निम्नानुसार है:-

<u>गुजरात</u>

<u>धोलेरा स्पेशन इन्वेस्टमेंट क्षेत्र (DSIR):</u>

- विभिन्न प्रमुख अवसंरचना घटकों के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो गया है;
- प्रोग्राम मैनेजर सभी अनुप्रवाह गतिविधियों के साथ समन्वय कर कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां शुरू कर रहे हैं;
- "धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलेपमेंट लिमिटेड" नामक विशेष प्रयोज्य योजना (एसपीवी) निगमित की गई है। राज्य सरकार ने 2245.08 हेक्टेयर भूमि एसपीवी को अंतरित की है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) (पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट) के रूप में जानने वाली) ने भी 1294.23 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी को जारी किया;
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 2784.82 करोड़ रुपए के पांच पैकेजों में बंटे धोलेरा के एक्टिविशन क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेजों को अनुमोदित किया था, प्रत्येक की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:
  - सड़क और सेवा ठेके (1,734 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति -55.20%;
  - बीईसी बिल्डिंग ठेके (72.31 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दिया गया। क्यूब कन्स्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 91.70%;
  - वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) ठेके (90 करोड़ रु) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एसपीएमएल चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 16.37%;
  - सीवर उपचार संयंत्र (एसटीपी) ठेका (54 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 37.55%;

- सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ठेका (160 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 11.13%;

- आईसीटी कन्सलटेन्ट को नियुक्त किया गया है और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन की प्रक्रिया जारी है;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- उर्जा वितरण सब-स्टेशन और ईंधन स्टेशन की स्थापना के लिए टोरेंट पॉवर (20.78 एकड़) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (5.93 एकड़) को भूखंड आबंटित किए गए हैं;
- जीईआरसी ने 14 अगस्त, 2018 को डीएसआईआर हेतु टोरेंट पॉवर लिमिटेड को विद्युत वितरण लाइसेंस जारी किया।
- जागरूकता बढ़ाने और प्रमुख किराएदारों/निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राऊंड टेबल कांफ्रेंस आयोजित की जा रही है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 19 सितंबर, 2014 के पत्र द्वारा डीएमआईसीडीसी के पक्ष में धोलेरा स्पेशन इन्वेस्टमेंट रीजज की क्लीयरेंस दी है, इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 15 जून, 2017 के पत्र द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस डीएमआईसीडीसी से डीएसआईआरडीए को अंतरित की है।
- चरण-I 24 जनवरी, 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एसएच6 1.16 हेक्टेयर सहित एमबीआर (पी) के डब्ल्यूटीपी तक वन अंतरण प्रस्ताव के लिए वन संबंधी क्लीयरेंस (कार्यकारी अनुमति) प्राप्त कर ली है।
- चरण-II 10 मई, 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एसएच6 (1.25 हेक्टेयर) सहित पीपली से डब्ल्यूटीपी तक के वन अंतरण प्रस्ताव के लिए वन संबंधी क्लीयरेंस (कार्यकारी अनुमति) प्राप्त कर ली है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 11 जून, 2018 के पत्र द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा तक 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे के लिए विचारार्थ विषयों को अनुमोदित किया। अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस परियोजना के लिए ईसी आवेदन /सीआरजेड आवेदन प्रक्रियाधीन है।

<u>साणंद, गुजरात (500 एकड़) में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी):</u>

- परियोजना परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तैयार किया जा रहा है;
- प्रस्तावित परियोजना के लिए संपर्कता योजना को तैयार किया गया है और इसे समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु राज्य सरकार, डीएफसीसीआईएल एवं रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है;

- राज्य सरकार ने एसपीवी निर्माण हेतु कदम की शुरूआत करने का अनुरोध किया है;

अहमदाबाद और धोलेरा के बीच एमआरटीएस, गुजरात:

- एमआरटीएम के लिए डीपीआर तैयार की गई है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- परियोजना को डीएमआईसी परियोजना के लिए जीका रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है।
- एमआरटीएस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एक्सप्रेस परियोजना के आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में शुरू की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

गुजरात में धोलेरा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:

- मैसर्स पीडब्ल्यूसी के कंसोर्टियम को कार्य संपादन परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने परियोजना के लिए "सैद्धांतिक" क्लीयरेंस दे दी है;
- गुजरात राज्य सरकार 30 वर्षों के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष पट्टा किराए पर 1426 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है, जिसे बाद में 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है;
- एएआई के बोर्ड ने डीपीआर और परियोजना में 51 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन परियोजना:

- एसपीवी-डीआईसीडीएल के बोर्ड ने 6 सितंबर, 2017 को आयोजित बैठक के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा अंतिम रूप दिए गए परियोजना की अनुमानित लागत को अनुमोदित कर दिया है;
- परियोजना को रेल मंत्रालय के गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर) मॉडल के अनुसार डीआईसीडीएल द्वारा लागू किया जाएगा। परियोजना को एनआईसीडीआईटी और गुजरात सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा और परियोजना की लागत 100 प्रतिशत इक्विटी के रूप में वित्तपोषित की जाएगी;
- आरवी कन्सलटेंट को रेल लिंक परियोजना के लिए विस्तृत डिजाइन हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है।

महाराष्ट्र

शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (SBIA):

- एसबीआईए (8.39 वर्ग किमी) के चरण-I के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- प्रोग्राम मैनेजर सभी अनुप्रवाह गतिविधियों के साथ समन्वय कर कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां शुरू कर रहे हैं;
- "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड" (एआईटीएल) नामक नोड/शहर स्तरीय विशेष प्रयोज्य योजना (एसपीवी) निगमित की गई है। राज्य सरकार ने 8.39 हेक्टेयर भूमि एसपीवी को अंतरित की है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) (पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट) के रूप में जानने वाली) ने भी 602.80 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी को जारी किया है;
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1533 करोड़ रुपए के शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के विभिन्न प्रमुख अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेजों को अनुमोदित किया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज-वार स्थिति नीचे दर्शायी गई है:
  - सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, मल निकास और उर्जा प्रणाली के लिए ईपीसी दे दिया गया है (656.89 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोंजी ईपीसी कांट्रेक्टर है। दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 83.99%;
  - ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी दे दिया गया है (69.45 करोड़ रुपए). पाटिल कंस्ट्रेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ईपीसी कांन्ट्रेक्टर है। दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति– 68.28%;
  - जिला प्रशासनिक भवन के लिए ईपीसी (रुपए 129 करोड़). शापूरजी पल्लोंजी ईपीसी कांट्रेक्टर है। दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 97.40%;
  - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) , एफ्फुलेएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एंड सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ईपीसी दे दी गई है (रुपए 72.52 crore). पस्सवंट एनर्जी ईपीसी कांट्रेक्टर है। दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 13.00%;
  - लैंडस्केप और सिंचाई कार्यों के लिए ईपीसी (रुपए 112 करोड़). शापूरजी पल्लोंजी ईपीसी कांट्रेक्टर है और कार्य प्रगति पर है;
  - आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्य (रुपए 142 करोड़). हनीवेल चुनी हुई एजेंसी है। दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 41.75%;

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग सहित 56 प्लॉट आबंटित किए गए है। हयोसुंग कॉरपोरेशन शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में प्रथम प्रमुख निवेशक है (आबंटित भूमि - 100 एकड़) ;
- बिडकिन के लिए परियोजना विकास गतिविधियां शुरू की जा रही है और 6414.21 करोड़ रुपए की कीमत वाले प्रमुख अवसंरचना पैकेज को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडार डेवलेपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) (पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट) के रूप जाना जाने वाला) और बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया;
- राज्य सरकार ने बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट एसपीवी को 1376.81 एकड़ भूमि अंतरित की और 1149.90 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;
- एलएंडटी को चरण-I (1223 करोड़ रुपए) अर्थात सड़क और भूमिगत सुविधाओं/सेवाओं के लिए 10 वर्ग किमी हेतु ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। दिसंबर, 2018 तक वास्तविक प्रगति – 77.08%;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शेन्द्रा-बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी गई है;

<u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया:</u>

- राज्य सरकार ने चरण-I अर्थात 3000 हैक्टेयर के लिए भूमि अधिगृहीत की है।
- मैसर्स एजीस को विस्तृत मास्टर प्लानिंग करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां करने के लिए नियुक्त किया गया है।

<u>मध्य प्रदेश</u>

<u>पीथमपुर धार महू इन्वेस्टमेंट रीजन:</u>

नोड/सिटी लेवल के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और मध्य प्रदेशराज्य सरकार/एमपीटीआरआईएफएसी के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) और शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) को निष्पादित किया गया है।

<u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन:</u>

- 1100 एकड़ भूमि प्रोजेक्ट एसपीवी को अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा भी 55.93 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;

- प्रोजेक्ट की आवश्यकता पूरी करने के लिए उज्जयिनी से उज्जैन तक इंडस्ट्रियल एरिया विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड" में पाइपलाइन से जलापूर्ति करने के लिए नर्मदा वैली डेवलेपमेंट ऑथोरिटी (एनवीडीए) और विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए है।
- एईसीओएम, प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट निर्माण संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर रहा है;
- एसपीएमएल और ओम मैटल का कंसोर्टियल, ईपीसी कांट्रेक्टर विभिन्न अवसरंचना घटकों का क्रियान्वय शुरू कर रही है। दिसंबर, 2018 तक कार्य की वास्तविक प्रगति – 77.00%;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और पंचमहल डिस्ट्रि. - ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को एक भूखंड (12 एकड़) आबंटित किया गया है,
- जागरूकता बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राऊंड टेबल कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।

<u>पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जलापूर्ति परियोजना:</u>

- राज्य सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के बीच डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (डीएमआईसी पीजेपीसीएल) नामक एसपीवी निगमित किया गया है;
- 306.55 करोड़ रुपए परियोजना लागत के लिए अनुमोदित किए गए और ट्रस्ट द्वारा 17.15 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;
- निर्माण संबंधी गतिविधियों के निरीक्षण हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है;
- 219 करोड़ रुपए के कार्यों हेतु एलएंडटी को ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है। कार्य की वास्तविक प्रगति: 83%;
- एनआईसीडीआईटी ने डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड की 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग अधिगृहीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

<u>हरियाणा</u>

<u>नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच):</u>

- परियोजना के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में लगभग 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीची प्रोजेक्ट एसपीवी निगमित किया गया है;
- प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानिंग पूरी हो गई है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है;

- सीसीईए ने चरण I के विकास के लिए 1029.49 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना को अनुमोदित कर दिया है और परियोजना के चरण II के विकास हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन दे दिया है
- राज्य सरकार ने कुल भूमि में से 639 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 191.67 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी कर दी है;
- परियोजना को एशियन इंफ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एआईआईबी) से एनआईसीडीआईटी को ऋण वित्तपोषण के लिए भेज दिया गया है।

ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट:

- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच प्रोजेक्ट एसपीवी निगमित किया गया है;
- मास्टर प्लान पूरा हो गया है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;
- आंतरिक अवसंरचना घटकों की प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां जारी है और ईपीसी कान्ट्रेक्टर(रों) की नियुक्ति हेतु निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हरियाणा ने एमबीआईआर के अंतर्गत ग्लोबल सिटी के विकास हेतु ईआईए स्टडी और डीएमआईसी के अंतर्गत हरियाणा राज्य में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब हेतु विचारार्थ विषयों को अनुमोदन दे दिया है।

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट:

- राज्य सरकार ने अंतिम डीपीआर को अनुमोदन दे दिया है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच एसपीवी निगमित किया गया;
- भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;
- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है;

उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट:

- प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां पूरी हो गई है और "इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड" नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;

- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा भी 617.20 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी जारी की गई;
- शपूरजी पल्लोंजी को 426 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रमुख अवसरंचना घटकों को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है; दिसंबर, 2018 तक कार्य की वास्तविक प्रगति – 87.57%
- जनवरी, 2018 में सीमंस को साइट के भीतर 121 करोड़ रुपए के उर्जा वितरण कार्य करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- 152 एकड़ भूमि निम्नलिखित 4 आवेदकों को आबंटित की गई है:
    - हेयर: 123 .7 एकड़
    - सत्कृति इंफोटेक: 9.8 एकड़
    - फोर्मे: 3.5 एकड़
    - स्टेरिओन: 15 एकड़
- रोड शो और राऊंड टेबल कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

<u>दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और ग्रेटर नोएडा के बोरकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):</u>

- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट के लिए एसपीवी एमएमएलएच के साथ-साथ एमएमटीएच प्रोजेक्टों को भी कार्यान्वित करेगा;
- भूमि सहित 4034 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट पर एनआईसीडीआईटी बोर्ड ने "सैद्धांतिक" अनुमोदन दे दिया है;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है;
- डीएफएफसीसीआईएल के साथ भी चर्चा शुरू हो गई है ताकि साइट को पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारे से संपर्कता उपलब्ध हो सके।
- भारतीय रेल द्वारा समझौता ज्ञापन को अनुमोदित कर दिया गया है और शीघ्र ही निष्पादित किया जाएगा;
- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 80 प्रतिशत भूमि उनके कब्जे में है और शेष भूमि तेजी से अधिगृहीत की जा रही है;

- परियोजना को एशियन इंफ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एआईआईबी) से एनआईसीडीआईटी को ऋण वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान

खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थान:

- मास्टर प्लान को अधिसूचित किया गया है;
- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है;
- एसएचए एवं एसएसए के निष्पादन को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट अधिसूचित किया गया है;

राजस्थान में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:

- नागर विमानन मंत्रालय द्वारा साइट क्लीयरेंस दे दी गई है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है।
- प्रस्तावित भिवाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिला अलवर, राजस्थान के लिए ईआईए स्टडी करने के लिए विचारार्थ विषयों को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सितंबर, 2018 में जन सुनवाई की है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर, 2018 को अपनी अंतिम डीपीआर प्रस्तुत की है।

जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए):

- मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया गया है;
- राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण तेज करने के लिए अनुरोध किया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए) प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है।

स्मार्ट कम्यूनिटी प्रोजेक्ट:

क) **मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान:**

- 03 सितंबर, 2015 को 05 मैगावाट सोलर पॉवर प्लांट शुरू किया गया है। एनवीवीएन लिमिटेड के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अनुसार 8.77/- रुपए प्रति यूनिट के निर्धारित टैरिफ पर स्टेट ग्रिड (अर्थात 220 केवी जीएसएस नीमराणा) को भेजी जा रही है।

- 17 मई, 2016 से 10 वर्षों के लिए 11.99/- रुपए प्रति यूनिट के निश्चित टैरिफ के आधार पर एमआईकेयूएनआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 01 मैगावाट माइक्रो ग्रिड सोलर पॉवर प्लांट के लिए पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) निष्पादित किया गया है।
- 10 जुलाई, 2017 से एमआईकेयूएनआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उच्च गुणवत्ता, स्थिर और नवीकरणीय योग्य हरित उर्जा भेजने के लिए 01 मैगा वाट मैगावाट माइक्रो ग्रिड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट से उर्जा सृजन शुरू हो गया है।

ख) **<u>लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट:</u>**

- 01 जुलाई, 2016 से जेएनपीटी पोर्ट और 01 अप्रैल, 2018 से जेएनपीटी पोर्ट पर भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल नामक नए पोर्ट टर्मिनल पर परिचालन की शुरूआत हो गयी है;
- 01 मई, 2017 से गुजरात में एपीएसईजेड (अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनोमिक जोन) एवं एएचपीपीएल हजीरा (अडानी हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड) पर सभी कंटेनर टर्मिनलों ने सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया है;
- 31 जनवरी, 2019 तक 12 मिलियन कंटेनर को टैग्गड/डी-टैग्गड किया गया है;
- पूरे भारत में एलडीबी सेवाओं के विस्तार हेतु तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णपट्नम पोर्ट, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, हल्दिया, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं।

<u>अन्य परियोजनाएं:</u>

<u>द्वारका, दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी):</u>

- मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है और परियोजना के मार्गदर्शन हेतु प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है;
- परियोजना के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के नाम से एसपीवी बनाया गया है।
- डीपीआईआईटी द्वारा डीडीए से भूमि लेना शुरू हो गया है;
- विभिन्न परियोजना विकास गतिविधियों को करने के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट के रूप में एईसीओएम को नियुक्त किया गया है।
- चरण 1 घटकों (2791 करोड़ रुपए) के विकास के लिए एलएंडटी को ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, दिसंबर, 2018 तक कार्य की वास्तविक प्रगति – 30.45%;

- डीएमआरसी ने 18 जुलाई, 2018 को भूमि मालिकों को बकाये का भुगतान कर शेष 0.1368 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएनएचआई), आदि जैसे भागीदारों के परामर्श से अन्य परियोजना संबंधी विकासात्मक गतिविधियां की जा रही है;
- एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के आईआईसीसी प्रोजेक्ट तक विस्तार हेतु डीएमआरसी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है और निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है;
- एएआई ने परियोजना के लिए प्रस्तावित भवन ऊंचाइयों पर "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दे दिया है;
- दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने इमारत के नक्शे को अनुमोदन दे दिया है और दिल्ली फायर सर्विसेस ने चरण-1 विकास के लिए इमारत के नक्शे को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है।
- एचवीपीएनएल एवं बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड ने एचटी लाइनें जो साइट से गुजर रही थी, उन्हें हटाने का कार्य पूरा कर लिया है;
- परियोजना की प्रगति पर निगरानी के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही है;
- बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप को व्यावसायीकरण, नियोजन एवं कर्षण परामर्शदाता के रूप में और आईडीओएम (स्पेन) एवं सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के कंसोर्टियम को प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर संबंधी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- कोरिया इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर एंड ईसेंग नेटवर्क कंपनी लिमिटेड को एक्जीबिशन एवं कन्वेन्शन सेंटर के लिए परिचालक के रूप में नियुक्त किया गया है और परिचालन सेवा अनुबंध 20 वर्ष की अवधि का है;
- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को ऋण जुटाने के लिए वित्तीय परामर्शदाता के रूप नियुक्त किया गया है;
- नेशनल कौंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स को "थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट" (टीपीक्यूए) के लिए परामर्शदाता सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है;
- 20 सितंबर, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया।

अन्य औद्योगिक गलियारे:

क. चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) प्रोजेक्ट:

सभी गलियारों के लिए भावी योजना पूरी हो गई है और विकास के लिए तीन नोड्स की पहचान की गई है;

i. कृष्णपट्नम, आंध्र प्रदेश;
ii. तुमकुरू, कर्नाटक; और
iii. पोन्नेरी, तमिलनाडु

i. कृष्णपट्नम, आंध्र प्रदेश:

- शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया है और 07 अगस्त, 2018 को 'एनआईसीडीआईटी कृष्णपटनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलेपमेंट लिमिटेड" नामक प्रोजेक्ट एसपीवी को निगमित किया गया है।
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए परामर्शदाता सेवाअें के लिए एलएंडटी को लैटर ऑफ एवार्ड जारी कर दिया गया है;

ii. तुमकुरू, कर्नाटक:

- शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और 01 नवंबर, 2018 को प्रोजेक्ट एसपीवी अर्थात सीबीआईसी तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड को निगमित किया गया है।
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

iii.पोन्नेरी, तमिलनाडु:

- औद्योगिक गलियारों पर भारत सरकार अनुमोदित संस्थानिक और वित्तीय संरचना पर राज्य सरकार की अंतिम सहमति की प्रतीक्षा है।

ख. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी) प्रोजेक्ट:

- सभी गलियारों के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है और चरण-I के अंतर्गत विकास के लिए सात औद्योगिक विनिर्माण कलस्टरों (आईएमसी) की पहचान की गई है। ये आईएमसी राजपुरा-पटियाला (पंजाब), गोहाना (हरियाणा), प्राग-खुरपिया फार्म्स (उत्तराखंड), भौपुर (उत्तर प्रदेश), गमहरिया (बिहार), बरही (झारखंड) और रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल) है;
- सभी पहचाने गए आईएमसी के लिए कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- राजपुरा-पटियाला (पंजाब), गोहाना (हरियाणा), प्राग-खुरपिया फार्म्स (उत्तराखंड), भौपुर (उत्तर प्रदेश), गमहरिया (बिहार), बरही (झारखंड) आईएमसी के लिए संबंधित राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।

i. रघुनाथपुर, पश्चिम बंगाल

- राज्य सरकार के साथ शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- 2483 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कब्जे में है
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां प्रगति पर है;

डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शहरों के लिए पुरस्कार और मान्यता

<u>धोलेरा स्मार्ट सिटी</u>:

1. भू-स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार, मार्च 2016
2. बेंटले "प्रेरित हो", मार्च 2016
3. आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग "प्लेटिनम", सितंबर 2016
4. एकीकृत योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर, फरवरी 2017
5. बेस्ट ग्रीन सिटी, फरवरी 2017
6. बेस्ट इनोवेटिव ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट, फरवरी 2019

<u>ऑरिक स्मार्ट सिटी</u>:

1. ऑरिक हॉल - सर्वश्रेष्ठ कार्यालय भवन और वास्तुकला में सर्वश्रेष्ठ के लिए 2017 का टाइम्ज़ राष्ट्रीय पुरस्कार;
2. 2018 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इन्फ्रा प्रोजेक्ट 3.2 मिलियन सुरक्षित श्रमघंटो के लिए द्वितीय

स्थान;

3. ई-भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए 2018 स्कोच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट पुरस्कार;
4. सैन फ्राँसिको में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नवाचारों के लिए 11 ईबीजे / सीसीबीजे पुरस्कार।

- **प्रौद्योगिकी योग्यता स्मार्ट शहर:** विस्तृत औरंगाबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट तकनीकों और अगले स्तर के बुनियादी ढांचे को एकीकृत कर भविष्य के स्मार्ट, हरे औद्योगिक शहर में ऑरिक (औरंगाबाद औद्योगिक शहर) को बदलने के लिए।

वित्तीय परिणाम सार

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, ट्रस्ट के मुख्य धन संग्रह (कार्प्स) के लिए भारत सरकार द्वारा 801.37 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2017-18 (लेखा परीक्षित)**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 (लेखा परीक्षित)**
कार्प्स/पूंजी निधि*	3727.00	3014.77
स्थायी परिसंपत्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश	3473.62	2308.60
चालू परिसंपत्तियां	253.51	706.19
चिन्हित निधि*	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चालू दायिताएं	0.13	0.03
गैर-चालू दायिताएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सकल आय	13.53	36.72
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	(1.59)	32.85

*परियोजना संबंधी विकासात्मक गतिविधियां करने के लिए अनुदान के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) को दिए जाने वाले चिन्हित "अनुदान (सामान्य)" को वित्तीय वर्ष 2015-16 तक "चिह्नित/बंदोबस्ती निधियों" के अंतर्गत दिखाया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के अनुसार परियोजना संबंधी विकासात्मक गतिविधियां करने के लिए अनुदान के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) को दिए जाने वाले चिन्हित "अनुदान (सामान्य)" को वित्तीय वर्ष 2016-17 से "चिह्नित/बंदोबस्ती निधियों" के बदले "कॉर्प्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत "अतिरिक्त कॉर्प्स" के रूप में दिखाया गया है।

लेखा परीक्षक

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन है।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए एनआईसीडीआईटी की लेखा परीक्षा का कार्यभार सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी लेखा परीक्षा टीम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की है।

सीएंडएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एनआईसीडीआईटी के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी गई है।

कर्मचारियों के ब्यौरे

वर्ष 2017-18 के दौरान एनआईसीडीआईटी में कोई कर्मचारी नहीं है।

ट्रस्ट डीड के परिच्छेट 8.5 के अनुसार, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, डीएमआईसीडीसी लिमिटेड एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आभार

ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट में उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट
एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(अल्केश क. शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28-जून-2019

गोपनीय

संख्या / No.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

विषयः- नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैंट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट के वर्ष 31 मार्च 2018 के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैंट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट के वर्ष 2017-18 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार अवशय प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियॉ उस तिथि को दर्षाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए ।

भवदीया,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता०
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

संख्या : PDCA-1/ND/CHQ/29-62/18-19/ 1226 दिनॉक : 29/1/19

प्रतिलिपीः-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैंट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट, कमरा संख्या-341 तीसरी मंजिल, होटल अशोक, नई दिल्ली-110021 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है ।

29.1/XIX
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432,011-23370871
e-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 जिसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (बजट प्रभाग) के दिनांक 1 सितंबर, 2014 के सुपुर्दगी पत्र सं. 1(27)-बी(आर)/2013 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण ट्रस्ट के दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटन शर्तों, आदि के साथ अनुरूपता के संबध में केवल लेखांकन उपचारों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की विवेचना शामिल है। वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण कानूनों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में है और कुशलता-सह-प्रदर्शन पहलूओं, आदि, यदि कोई हो तो इसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा में पृथक रिपोर्ट से दिखाया गया है।

3 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का नियोजन तथा प्रदर्शन इस तरह करे कि ये वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण चूक से मुक्त हो। किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थ करने वाले साक्ष्यों को जांच आधार पर परीक्षण करना है। किसी लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन मानकों और प्रबंधन द्वारा तैयार महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों के लिए उचित आधार मुहैया कराती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास से हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाए गए हैं।

(iii) हमारे विचार में, लेखा बहियों की हमारी जांच से अभी तक यह प्रतीत होता है कि दिनांक 27 सितंबर, 2012 की न्यास विलेख की उपधारा 13.1 के अंतर्गत जैसा अपेक्षा की गई है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट द्वारा लेखा बहियों और अन्य संबंधित रिकार्डों को उचित रूप से तरीके से बनाए रखा है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

सहायता अनुदान

परियोजना कार्यान्वयन निधि और परियोजना विकास निधि के अंतर्गत सहायता अनुदान की स्थिति (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार) निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**परियोजना कार्यान्वयन निधि (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए)**	**परियोजना विकास निधि (परियोजना विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए)**
अथशेष	589.57	81.29
जोड़े: 2017-18 के दौरान प्राप्त अनुदान	801.37	-
समायोजन: परियोजना कार्यान्वयन निधि से परियोजना विकास निधि में अंतरित धन राशि	(4.37)	4.37
जोड़े: 2017-18 के दौरान प्राप्त ब्याज	5.48	1.39
जोड़े: डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान	6.65	-
जोड़े: आयकर रिफंड	2.79	0.52
जोड़े: प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि	0.27	-
कुल उपलब्ध धनराशि	**1401.76**	**87.57**
घटाए:- उपयोग की गई धनराशि	1373.40	87.55
31.03.2018 को इतिशेष	28.36	0.02

(v) हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारे विचार और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लिखित वित्तीय विवरण जिसे लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट के साथ पढ़ा जाए,

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और उचित विचार प्रकट करते हैं;

a) अभी तक यह 31 मार्च, 2018 को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के तुलन-पत्र से संबंधित है और

b) अभी तक यह उसी तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए आय की कमी के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते

नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जनवरी, 2019

(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I
नई दिल्ली

अनुलग्नक

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट हेतु)

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली**

   वर्ष 2017-18 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टड एकाऊंटेंसी फर्म द्वारा की गई थी।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुसार है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   ट्रस्ट के पास कोई स्थायी परिसंपत्ति नहीं है।

4. **वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   ट्रस्ट के पास कोई वस्तुसूची नहीं है।

5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**

   सामान्य रूप से ट्रस्ट नियमित रूप से सांविधिक बकायों का भुगतान करती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

तुलन पत्र
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(राशि - रू.)

ब्योरे	अनुसूची	2017-18	2016-17
कारपस / पूंजी निधि एवं देनदारियां			
कारपस / पूंजी निधि	1	37,26,99,54,627	30,14,76,73,164
भंडार एवं आधिक्य	-	-	-
चिन्हित/ एनडाउमेंट निधि	-	-	-
ऋण एवं उधार	-	-	-
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	2	12,67,341	2,50,250
कुल		**37,27,12,21,968**	**30,14,79,23,414**
परिसंपत्तियां			
सावधि परिसंपत्तियां	-	-	-
निवेश	3	34,73,61,72,881	23,08,59,98,000
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिमें आदि	4	2,53,50,49,087	7,06,19,25,414
कुल		**37,27,12,21,968**	**30,14,79,23,414**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देनदारियां एवं लेखा टिप्पणियां	9		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां इस तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(अल्केश कुमार शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव

हस्ता.
(रमेश अभिषेक)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

आय एवं व्यय लेखा
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि - रू.)

ब्यौरा	अनुसूची	2017-18	2016-17
आय			
अर्जित ब्याज	5	13,23,35,360	36,66,11,974
अन्य आय	6	29,79,496	5,41,530
कुल (क)		**13,53,14,856**	**36,71,53,504**
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	7	15,12,06,393	3,86,56,857
कुल (ख)		**15,12,06,393**	**3,86,56,857**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य पर शेष (क - ख)		(1,58,91,537)	32,84,96,647
अतिरिक्त कारपस में हस्तांतरण		1,50,80,947	8,16,79,367
सामान्य भंडार से/को हस्तांतरण		-	-
शेष के अधिक/(कम) होने पर कारपस/पूंजीगत निधि ले जाया गया		**(3,09,72,484)**	**24,68,17,280**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देनदारियां एवं लेखा टिप्पणियां	9		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां इस तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(अल्केश कुमार शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव

हस्ता.
(रमेश अभिषेक)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

प्राप्तियां एवं भुगतान
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि - रू.)

प्राप्तियां	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
I. अथशेष			**I. व्यय**		
क) नकदी रोकड़	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	15,02,92,802	3,85,68,000
ख) बैंक शेष					
i) बचत खातों में	16,48,662	50,06,951	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान**		
ii) जमा खातों में	6,70,70,29,237	5,48,92,25,530	क) मुख्य कारपस से		
			निम्नलिखित को ऋण जारी :		
II. प्राप्त अनुदान			i) डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं. लि	3,60,00,000	1,00,00,000
क) भारत सरकार से मुख्य कारपस के लिए	8,01,37,00,000	4,95,49,00,000	ii) डीएमआईसीडीसी लाजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लि.	-	12,75,00,000
ख) भारत सरकार से अतिरिक्त कारपस के लिए	-	-	iii) डीएमआईसी विक्रम उदयोगपुरी लि.	1,32,54,00,000	-
			ख) अतिरिक्त कारपस से		
			-डीएमआईसीडीसी लि. को सहायता अनुदान जारी	87,55,27,000	76,50,00,000
III. निवेश पर आय से					
क) मुख्य कारपस	-	-	**III. किए गए निवेश एवं जमाएं**		
ख) अतिरिक्त कारपस	-	-	क) मुख्य कारपस से	11,65,01,74,881	3,22,86,48,000
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. सावधि परिसंपत्तियों पर व्यय एवं**		
क) बैंक जमाओं पर (निवल टीडीएस)	2,63,82,982	35,98,79,394	**प्रगतिशील पूंजीगत कार्य**	-	-
ख) बचत खातों पर	1,86,53,546	22,83,475			
ग) ऋणों और अग्रिमों पर (निवल टीडीएस)	2,06,87,765	72,74,600	**V. आधिक्य धन/ऋण की वापसी**	-	-
V.अन्य आय			**VI. वित्त पोषण प्रभार(ब्याज)**	-	-
क) मुख्य कारपस	25,15,742	4,11,219			
ख) अतिरिक्त कारपस	4,63,754	1,30,311	**VII. अन्य भुगतान**		
			एसपीवी के लिए किया गया व्यय	-	26,50,785
VI. उधार राशि	-	-	आईआईसीसी लि. के लिए किया गया व्यय	57,20,82,739	-
VII. कोई अन्य प्राप्तियां			**VIII. इतिशेष**		
डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं. लि. से			क) नकदी रोकड़	-	-
ऋण की अदायगी	6,64,89,756	5,70,10,244	ख) बैंक शेष		
आयकर वापसी	3,31,05,504	49,22,960	i) बचत खाता में	97,29,855	16,48,662
एसपीवी के लिए किए गए व्यय का पुनर्भुगतान	26,50,785	-	ii) जमा खाता में	27,41,20,456	6,70,70,29,237
कुल	**14,89,33,27,733**	**10,88,10,44,684**	**कुल**	**14,89,33,27,733**	**10,88,10,44,684**

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

हस्ता.
(अल्केश कुमार शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव

हस्ता.
(रमेश अभिषेक)
अध्यक्ष

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास □
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(राशि - रू.)

ब्योरा		2017-18	2016-17
अनुसूची 1 : कारपस / पूंजीगत निधि			
क. मुख्य कारपस / पूंजीगत निधि			
वर्ष के आरंभ में शेष		29,30,18,90,510	23,97,01,73,230
जोड़ें: डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं.लि. में साम्य निवेश के लिए डीएमआईसीडीसी लि. को जारी राशि (अनुसूची-9 के नोट सं.-3 का संदर्भ लें)		-	13,00,00,000
		29,30,18,90,510	**24,10,01,73,230**
जोड़ें: कारपस/पूंजी निधि में प्राप्त अंशदान		8,01,37,00,000	4,95,49,00,000
जोडें / (घटाएं): पूर्व वर्षों के लिए पीआईएफ के रुप में लेखांकित पीडीएफ के संबंध में ब्याज जिसे अब परिशोधित कर दिया गया है		(11,43,042)	-
जोड़ें / (घटाएं): आय/व्यय खाता से हस्तांतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष		(3,09,72,484)	24,68,17,280
जोड़ें / (घटाएं): अतिरिक्त कारपस में अंतरित राशि*		(4,37,00,000)	-
वर्ष के अंत में शेष (क)		**37,23,97,74,984**	**29,30,18,90,510**
1.1. डीएमआईसीडीसी लि. के लिए अतिरिक्त अनुदान			
वर्ष के आरंभ में शेष		2,24,89,00,000	2,24,89,00,000
जोड़ें: अतिरिक्त कारपस/पूंजी निधि में अंशदान		-	-
जोड़ें: मुख्य कारपस से अंतरित राशि*		4,37,00,000	-
	(1)	2,29,26,00,000	2,24,89,00,000
जोड़ें: आय/व्यय खाता से हस्तांतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष			
- गत वर्षों के दौरान		36,00,82,654	27,84,03,287
जोडें / (घटाएं): पूर्व वर्षों के लिए पीआईएफ के रुप में लेखांकित पीडीएफ के संबंध में ब्याज जिसे अब परिशोधित कर दिया गया है		11,43,042	-
- वर्तमान वर्ष के दौरान		1,50,80,947	8,16,79,367
	(2)	37,63,06,643	36,00,82,654
	(1) + (2)	**2,66,89,06,643**	**2,60,89,82,654**
घटाएं: डीएमआईसीडीसी लि. को अनुदान सहायता जारी करके उपयोग की गई राशि			
- गत वर्षों के दौरान		1,76,32,00,000	99,82,00,000
- वर्तमान वर्ष के दौरान		87,55,27,000	76,50,00,000
	(3)	2,63,87,27,000	1,76,32,00,000
वर्ष के अंत में शेष [ख = (1) + (2) - (3)]		**3,01,79,643**	**84,57,82,654**
कुल योग (क + ख)		**37,26,99,54,627**	**30,14,76,73,164**

* पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए गैर-आवर्ती अनुदान में डीआईपीपी से प्राप्त राशि ताकि इन निधियों को दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लि. के पास अंतरित किया जा सके जिससे कि द्वारका, नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र परियोजना की परियोजना-पूर्व गतिविधियों को शुरू किया जा सके। तद्नुसार निधियों को द्वारका, नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी-सह- सम्मेलन केन्द्र परियोजना के परियोजना-पूर्व व्ययों के विरूद्ध डीएमआईसीडीसी लि. को अंतरित किया गया।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(राशि - रू.)

ब्यौरा		2017-18	2016-17
अनुसूची 2 : वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान:			
2.0. वर्तमान देनदारियां			
1. फुटकर देनदाता:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		9,47,341	36,750
2. सांविधिक देनदारियां			
(क)अन्य			
- स्रोत पर कर कटौतियां (टीडीएस)		5,000	13,500
3. अन्य वर्तमान देनदारियां		-	-
	(क)	9,52,341	50,250
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		1,50,000	1,00,000
- गत वर्ष		1,65,000	1,00,000
	(ख)	3,15,000	2,00,000
कुल (क + ख)		**12,67,341**	**2,50,250**
अनुसूची 3 : निवेश			
1. चिन्हित/ एनडाउमेंट फंड से निवेश		-	-
2. निवेश - अन्य			
(क) शेयर			
- पिथमपुर जल प्रबंधन कं.लि. के साम्य शेयरों में निवेश		17,15,00,000	17,15,00,000
- विक्रम उद्योगपुरी लि. के साम्य शेयरों में निवेश		55,93,00,000	55,93,00,000
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लि. के साम्य शेयरों में निवेश		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लि. के साम्य शेयरों में निवेश		14,52,70,00,000	6,02,80,00,000
- धौलेरा औद्योगिक शहर विकास लि. के साम्य शेयरों में निवेश		12,94,22,74,881	9,83,50,00,000
- डीएमआईसीडीसी लाजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लि. के साम्य शेयरों में निवेश		4,01,98,000	4,01,98,000
- डीएमआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी परियोजना लि. के साम्य शेयरों में निवेश		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसीडीसी हरियाणा एमआरटीएस परियोजना लि. के साम्य शेयरों में निवेश		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसीडीसी हरियाणा मल्टी माडल लाजिस्टिक्स हब परियोजना लि. के साम्य शेयरों में निवेश		5,00,00,000	5,00,00,000
- धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लि. के साम्य शेयरों में निवेश		4,39,00,000	-
(ख) अन्य			
- डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं. लि. के साम्य शेयरों में निवेश के लिए डीएमआईसीडीसी को जारी निधियां (अनुसूची-9 का नोट सं.-3 देखें)		13,00,00,000	13,00,00,000
कुल		**34,73,61,72,881**	**23,08,59,98,000**

तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(राशि - रू.)

व्यौरा		2017-18	2016-17
अनुसूची 4 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिमें आदिः			
4.0. वर्तमान परिसंपत्तियां:			
1. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष:			
(क) जमा खातों पर			
- मुख्य कारपस		27,39,85,456	5,89,50,14,237
- अतिरिक्त कारपस		1,35,000	81,20,15,000
(ख) बचत खातों पर			
- मुख्य कारपस		96,89,202	8,86,168
- अतिरिक्त कारपस		40,653	7,62,494
	(क)	**28,38,50,311**	**6,70,86,77,899**
4.1. ऋण, अग्रिमें एवं अन्य परिसंपत्तियाः			
1. ऋण एवं अग्रिमें:			
डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं. लि. को		3,60,00,000	6,64,89,756
डीएमआईसीडीसी लाजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लि. को		12,75,00,000	12,75,00,000
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. को		1,32,54,00,000	-
2. बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज:			
(क) मुख्य कारपस		81,66,889	8,98,749
(ख) अतिरिक्त कारपस		2,967	3,17,216
3. ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज:			
डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं. लि. से		-	41,89,578
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. से		5,24,80,593	-
4. अन्य:			
(क) स्रोत पर कर कटौती			
- मुख्य कारपस		9,94,62,984	11,75,15,120
- अतिरिक्त कारपस		3,00,99,869	3,37,89,811
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिमें*		57,20,85,474	25,47,285
	(ख)	**2,25,11,98,776**	**35,32,47,515**
कुल (क + ख)		**2,53,50,49,087**	**7,06,19,25,414**

* इसमें निम्नलिखित शामिल हैः

(i) रू. 52,20,82,739/- जो डीआईपीपी की मंजूरी आदेश सं. पी-40019/4/2017-आईडी-I(भाग) दिनांक 06 मार्च, 2018 के अनुसार प्राप्त हुआ ताकि इन निधियों को द्वारका,नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी- सह-सम्मेलन केंद्र के व्यय को पूरा करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं प्रदर्शनी केंद्र लि. (आईआईसीसी) को अंतरित किया जा सके और उसे आईआईसीसी लि. द्वारा एनआईसीडीआईटी को दिनांक 03 अप्रेल, 2018 को प्रदान कर दिया गया है।

(ii) रू. 5,00,00,000/- जिसे आईआईसीसी लि. को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उनके पत्र सं.पी.40022/67/2017-आईडी-I दिनांक 08/12/2017 के अनुसार अंतरित किया गया जो आईआईसीसी लि. के आरंभिक देय शेयर पूंजी के मद में था और उसे अब डीआईपीपी द्वारा मंजूरी आदेश सं. पी-40019/4/2017-आईडी-I(भाग) दिनांक 11 मई, 2018 के अनुसार एनआईसीडीआईटी को भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

आय एवं व्यय के भाग के रूप में टिप्पणियां
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि- ₹)

व्यौरा	2017-18	2016-17
अनुसूची 5 : अर्जित ब्याज		
(1.) सावधि जमाओं पर (अनुसूचित बैंक के साथ):		
(क) मुख्य कारपस	2,24,36,155	27,00,62,318
[वर्तमान वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 22,36,235/- (गत वर्ष - ₹ 2,46,89,919/-)]		
(ख) अतिरिक्त कारपस	1,46,02,569	8,15,28,205
[वर्तमान वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 14,62,881/- (गत वर्ष - ₹ 82,14,272/-)]		
(2.) बचत खातों पर (अनुसूचित बैंक के साथ) :		
(क) मुख्य कारपस	1,86,38,922	22,62,624
(ख) अतिरिक्त कारपस	14,624	20,851
(3.) ऋणों पर:	7,66,43,090	1,27,37,976
[वर्तमान वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 76,64,310/- (गत वर्ष - ₹ 12,73,798/-)]		
कुल	**13,23,35,360**	**36,66,11,974**
अनुसूची 6 : अन्य आय		
आयकर वापसी पर ब्याज:		
(क) मुख्य कारपस	25,15,742	4,11,219
(ख) अतिरिक्त कारपस	4,63,754	1,30,311
कुल	**29,79,496**	**5,41,530**
अनुसूची 7 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
सेवा शुल्क	15,04,58,063	3,82,51,300
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
- वर्तमान वर्ष	1,65,000	1,00,000
- गत वर्ष	60,640	1,21,641
विज्ञापन व्यय	2,25,277	-
शुल्क फाइल करने पर व्यय	1,11,990	12,690
पेशेवर एवं परामर्शदाता शुल्क	68,800	58,350
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	1,11,837	-
अन्य		
- विविध व्यय	4,786	1,12,876
कुल	**15,12,06,393**	**3,86,56,857**

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.0 लेखांकन कनवेंशन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा और जबतक अन्यथा रूप से वर्णित न हो लेखांकन के उपचयाधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.0 दीर्घावधिक निवेश

दीर्घावधिक निवेशों को अधिग्रहण लागत को शामिल करते हुए वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।

3.0 स्थाई परिसंपत्तियां

3.1 स्थाई परिसंपत्तियों को संचयित मूल्यह्रास एवं क्षति, यदि कोई हो को घटाकर लागत पर दर्शाया गया है;

3.2 अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर लागतें पूंजीकृत की जाती हैं जब तक परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती जैसा कि प्रबंधन द्वारा अपेक्षा किया गया है;

3.3 स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित अनुवर्ती व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि इनसे संबद्ध भावी आर्थिक लाभ न्यास को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय तरीके से अनुमापन किया जा सकता है। मरम्मत और रखरखाव लागतें जब व्यय निष्पादित होते हैं तो आय एवं व्यय खाते में ली जाती है;

3.4 मूल्यह्रास रिटेन डाउन वैल्यू पर ह्रासित मूल्य की सीमा तक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपभोग योग्य जीवन काल के अधार पर प्रदान किया गया है।

4.0 सरकारी अनुदान

4.1 इस न्यास को भारत सरकार से निम्नलिखित के लिए अलग-अलग आवर्ती अनुदान प्राप्त होते है::

(i.) न्यास के मुख्य कारपस में "पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन" जिसे "कारपस/पूंजी निधि" के अंतर्गत "मुख्य कारपस" के रूप में दर्शाया गया है, और

(ii.) चिन्हित किया गया "सामान्य" दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. को अनुदान सहायता के रूप में दिया जाना है ताकि वे "कारपस/पूंजी निधि" के तहत "अतिरिक्त कार्पस" के रूप में दर्शाए गए परियोजना विकास कार्यकलापों को पूरा कर सकें।

यह भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार है।

4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति आधार पर लेखांकित किया जाता है।

5.0 राजस्व स्वीकृति

5.1 आय समेकित आधार पर स्वीकृत की जाती है।.

5.2 मुख्य कारपस और अतिरिक्त कारपस की आधिक्य निधियों पर अर्जित व्याज को इन संबंधित शीर्षों के तहत अलग से दर्शाया गया है। यह भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के अनुसार है।

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

6.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

कारपस/पूंजी निधि शीर्ष के तहत सहायता अनुदान की आधिक्य निधियों पर ब्याज आय में से अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा किया जाता है।

7.0 सेवा शुल्क

26 जूलाई, 2016 से परियोजना कार्यान्वयन निधि में से विभिन्न परियोजनाओं को न्यास द्वारा जारी निधियो हेतू डीएमआईसीडीसी लि. द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष के दौरान 20 करोड़ रू.की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) सेवा शुल्क को उपचय आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

8.0 विदेशी मुद्रा में लेनदेन

विदेशी मुद्रा/लेनदेन पर व्ययों को लेनदेन की तारीख के विनिमय बाजार दर पर लेखांकित किया जाता है और विदेशी मुद्रा में आय को इन मुद्राओं से वसूल किए गए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

9.0 पट्टा

पट्टे प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत है जहां पट्टाकर्ता पट्टा अवधि के दौरान स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से काफी हद तक सुरक्षित रखता है। पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रचालन पट्टा भुगतान उपचय आधार पर आय एवं वित्तीय विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृत है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास □
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि)

लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9: आकस्मिक देनदारियां एवं लेखा संबंधी टिप्पणियां

1.0 राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (पूर्ववर्ती डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि) की स्थापना न्यास विलेख के माध्यम से 27 सितंबर, 2012 को की गई।

□
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने आदेश सं.11/1/2016 दिनांक 22/12/2016 के अनुसार 7 दिसंबर, 2016 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में न्यास के आदेश के विस्तार के लिए भारत सरकार के अनुमोदन को सूचित किया ताकि इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) पुनर्नामित करते हुए इसमें वर्तमान दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के साथ अन्य औद्योगिक गलियारों अर्थात अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (एकेआईसी), बंगलूरू-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (बीएमआईसी), चेन्नै बंगलूरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) और विजाग-चेन्नै औद्योगिक कोरिडोर (वीसीआईसी) परियोजनाओं को शामिल किया जा सके।

2.0 सरकार द्वारा 15 सितंबर, 2011 को अनुमोदित दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर में औद्योगिक शहरों के विकास के लिए वित्तीय एवं संस्थागत संरचना के अनुसार भारत सरकार औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों के दौरान डीएमआईसी ट्रस्ट को रू.17,500 करोड़ की अनुदान सहायता करेगी। परियोजना विकास कार्यकलापों को करने तथा परियोजना विशेष एसपीवी बनाने तथा अवसंरचना क्षेत्रों में परियोजना विशेष एसपीवी वाली सेक्टरवार धारक कंपनियों के निर्माण के लिए अगले पांच वर्षों में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में देने क लिए ट्रस्ट को रू.1000/- करोड़ का अतिरिक्त कारपस दिया जाएगा।

भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 तक विस्तारित अवधि के भीतर रू.1584 करोड़ [अर्थात रू.1500 करोड अन्य औद्योगिक कोरिडोर और रू. 84 करोड़ राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के प्रशासनिक व्ययों के लिए] के साथ उपर्युक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता के उपयोग के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

वर्ष के दौरान कारपस/पूंजीगत निधि के रूप में रू 801.37 करोड़ (गत वर्ष रू.495.49 करोड़) और अतिरिक्त कारपस के लिए शून्य (गत वर्ष शून्य) की राशि प्राप्त हुई ताकि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. को दिया जा सके।

न्यास में भारत सरकार के अंशदान को धूर्णी कारपस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

3.0 आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान न्यास के मुख्य कारपस/पूंजी निधि में से डीएमआईसीडीसी को रू.13,00,00,000/- (रू. तेरह करोड़ मात्र) की राशि अंतरित की गई ताकि इसे 6.00 मेगावाट माडल सोलर पावर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डीएमआईसीडीसी लि. के माध्यम से 100 प्रतिशत साम्य निवेश में आगे 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली एसवीपी जिसका नाम डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कं.लि. है, को जारी किया जा सके।

इस तरह के निवेश से लाभ डीएमआईसीडीसी लि. के माध्यम से न्यास को वापस प्राप्त होंगे। इस प्रकार जारी की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान न्यास की कारपस निधियों मे से कम कर दिया गया ।

लेनदेन की उद्घोषणा के संबंध में भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी)की सिफारिशों पर द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स आफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार न्यास के मुख्य कारपस/पूंजी निधि से कम की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वापस जोड़ दिया गया है।

संबंधित उद्घोषणाएं शीर्ष "निवेश" के अंतर्गत की गई हैं।

अनुसूची 9: आकस्मिक देनदारियां एवं लेखा संबंधी टिप्पणियां

4.0 लेखांकन नीति में परिवर्तन

स्थाई परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा में लेनदेन और पट्टों के संबंध में लेखांकन नीतियों में भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के लेखा परीक्षा दल के सुझाव के अनुसार गत वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधन किया गया है।

तथापि, इस संशोधन के कारण संबंधित नीतियों में किए गए परिवर्तन की वजह से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि न्यास ने उनसे संबंधित कोई लेनदेन नहीं किया है।

5.0 कर्मचारी लाभ

न्यास के पास कोई कर्मचारी नहीं है। सेवा निवृत्ति लाभ सहित कर्मचारी लाभ के कारण दायित्व का प्रावधान शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

6.0 आकस्मिक देनदारियां

न्यास की आकस्मिक देनदारियां शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

7.0 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

न्यास की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं शून्य(गत वर्ष शून्य) है।

8.0 वर्तमान परिसंपत्तियां,ऋण एवं अग्रिमें

प्रबंधन के विचार में तथा उनकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का सामान्य कारोबार किए जाने पर जो मूल्य है वह तुलन पत्र में वर्णित राशि से कम नहीं होगा।

9.0 कराधान

आयकर (छूट) निदेशक के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश के अनुसार ट्रस्ट द्वारा 28 मार्च, 2013 को दाखिल आवेदन के प्रत्युत्तर में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के साथ पठित धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण स्वीकृत किया है। तद्नुसार न्यास ने आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया है।

10.0 विदेशी मुद्रा लेनदेन	राशि(रू.) 2017-18	राशि(रू.) 2016-17
10.1 विदेशी मुद्रा में अर्जन	शून्य	शून्य
10.2 विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य

अनुसूची 9: आकस्मिक देनदारियां एवं लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.0 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

11.1	लेखा परीक्षा फीस		
	- वर्तमान वर्ष के लिए	1,65,000	1,00,000
	- गत वित्तीय वर्षों के लिए	60,640	1,21,641
11.2	कराधान मामलों के लिए	-	-
11.3	अन्य मामलों के लिए	-	-

12.0 परियोजना विकास व्यय

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. की वार्षिक लेखा परीक्षाओं के संबंध में की गयी टिप्पणियों के अनुसार, परियोजना विकास निधि में से डीएमआईसीडीसी लि. द्वारा परियोजना विकास व्यय को संबंधित सहायक कंपनियों / एसपीवी जो की राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्यवन ट्रस्ट, पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच निर्मित हुई थी, के अंतरण का मामला दिनांक 06/03/2018 को हुई एनआईसीडीआईटी के न्यास मंडल की बैठक के विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

अनुदान सहायता के रूप में मिली राशि में से किया गया परियोजना विकास व्यय, न्यास मंडल के निदेशानुसार डीएमआईसीडीसी लि. द्वारा कथित सहायक कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को अंतरित किया जा चुका है और उसकी वसूली को तब तक के लिए आस्थगित कर दिया गया है जब तक कि एपीवी पर्याप्त आधिक्य निधि सृजन करने में सक्षम नहीं हो जाती ।

इसके अलावा, डीएमआईसीडीसी लि. की लेखांकन नीतियों की अनुसार उन परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास निधि जो न तो शुरू हो पाये है और न ही जिनमें कोई कार्यकलाप शुरू हो पाया, को डीएमआईसीडीसी लि. के वित्तीय विवरणों में "पूंजी भंडार" शीर्ष के तहत परियोजना विकास निधि के रूप उद्घोषित किया गया है ।

13.0 प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्ति एवं भुगतान खाता वर्ष के दौरान नकद के अंतर्वाह और बहिर्गमन के आधार पर तैयार किया जाता है। यह भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार है।

14.0 गत वर्ष के समतुल्य आंकड़ों को जहां कही भी आवश्यक हो पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

15.0 अनुसूचियां 1-9 संलग्न हैं तथा वे 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता का समेकित भाग हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास के लिए एवं उनकी ओर से

(अल्केश कुमार शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव

(रमेश अभिषेक)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2017-18

PERFORMA TO BE ATTACHED TO THE O.M. FORWARDING PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA

1	Brief purpose of the matter the paper/ Notification covers	: Natioinal Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) is an autonomous organisation of Government of India. In this regard Annual Report and Audited Annual Accounts for the FY 2017-18 are required to be laid on the Table of Rajya Sabha.
2	Statutory or other requirement under which the paper is to be laid on the Table; (and not the Statutory Provision under which it has been issued/ made)	: Rule 242 of GFR, 2017
	(i) in case of Central Government Notification, name of the Act and section which provides for laying should be clearly stated:	:
	(ii) in case of State Government Notification, name of the State Act should be reproduced:	:
3	Whether published in the Gazette, if so,	: -
	(i) G.S.R./ S.O./S.R.O. number of Notification published in the Gazette:	
	(ii) Date, Part and Section of the Gazette:	
4	Whether subject to modification by the House?:	: No
5	Period specified in the principal Act by which it is required to be laid	: Parliament session 2018.
6	Whether paper/Notification is being laid within the stipulated time, if not, whether any delay statement has been enclosed?	: No, the statement explaining reasons for delay caused in laying of Annual Report and Annual Accounts on the Table of Parliament is enclosed.
7	Whether it has been previously laid on the Table of the Rajya Sabha and if so, on what date?	: No
8	Whether English and Hindi versions are being laid together? If not, the date on which the English version was laid?	: Yes
9	Date on which the paper is proposed to be laid on the Table	: During the session of Parliament -2019.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Earlier DMIC Project Implementation Trust Fund)

Statement Explaining Reasons for Delay in Laying of Annual Report and Annual Accounts for the financial year ended on 31st March, 2018 on the Table of both the Houses of Parliament:

DMIC Project Implementation Trust Fund was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed. Government of India on Dec-2016 accorded its approval for the expansion of the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and its re-designation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of all the Industrial Corridors being developed by the Government of India. As per the terms of the Trust Deed, NICDIT shall be subject to Audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The entrustment of audit of Accounts of NICDIT has been made to the Office of the Comptroller and Auditor General of India for a further period of five years from 2017-18 to 2021-22 by the President of India vide letter no. 1(5)-B(R&C)/2018 dated 16th March, 2018.

The approved Annual Accounts of NICDIT for the financial year 2017-18 along with the copy of the resolution approving the Annual Accounts by the Board of Trustee were forwarded to the Office of C&AG vide letter dated 11th October, 2018 after the approval of Board of Trustees through circular resolution dated 11th October, 2018 for taking up the audit.

The audit was conducted by an audit team deputed from the Office of C&AG during the period starting from 24.10.2018 to 02.11.2018. Necessary explanations / clarifications were provided to the Audit Team during the audit and the same was concluded on 2nd November, 2018. The Separate Audit Report on the Annual Accounts of NICDIT for the year ended on 31st March, 2018 has been issued vide letter no. PDCA-1/ND/CHQ/29-62/18-19/1226 dated 29th January, 2019 from the Office of C&AG.

The Separate Audit Report along with certified Annual Accounts once issued by the office of C&AG are required to be placed before the Board of the Trustees before forwarding it to Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) for placing it on the Table of the Parliament. The Separate Audit Report issued by C&AG was taken note for by the Board of Trustees vide its circular resolution dated 12-June-2019.

Due to the delays as detailed above, the Separate Audit Report along with certified Annual Accounts of NICDIT for the year ended on 31st March, 2018 has not been laid on the Table of the Parliament during the Winter Session 2018.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT
(FINANCIAL YEAR 2017-18)

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) by order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT will function under the administrative control of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

1. Secretary, DPIIT, Chairperson;
2. Secretary, Department of Expenditure, Member;
3. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
4. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
5. Secretary, Shipping, Member;
6. Chairman, Railway Board, Member;
7. CEO, NITI Aayog, Member; and
8. CEO, NICDIT, Member Secretary

The role and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPV's) and State Governments and assisting States in identifying Anchor Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/public or private organizations, as may be required from time to time. to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them.

Institutional Framework of NICDIT is as under:

a. The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b. NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c. GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs bu GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by DMICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d. For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DPIIT and Member- Secretary, NICDIT will be members of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated development in consonance with the Master Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e. Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2500 crore subject to a maximum extent of Rs.3000 crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the above amount is being sought from the Government of India to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization etc.

Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs.300 crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 crore and up to Rs. 500 crore. Proposals above Rs. 500 crore but upto Rs.1000 crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1000 crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

During the year 2017-18, the Board of Trustees held meetings on 23rd August, 2017 and 6th March, 2018.

Planning of DMIC Nodes and their Sustainability Features adopted:

DMIC nodes under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all nodes:

a) All utilities are planned to be underground which leads to better usage of land.They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.
b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 m. Better last mile connectivity options provided to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water will be collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the City for non-potable purpose. SCADA system will be used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of Zero Liquid Discharge (ZLD) will be for sustainable solutions. Separate sewer lines will be provided for industrial and residential lines.

d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 Million litres of capacity will be used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose etc.

e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, E-governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.

f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.

g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.

h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.

i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.

j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.

k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

Overall Review of the Business and Operations

The salient features of the progress of projects at a glance is as under:

1. In case of DMIC project, the construction of trunk infrastructure related activities are in full swing at the following four locations:

    - Activation area for Dholera Special Investment Region in Gujarat admeasuring 22.5 sq. kms;
    - Phase-1 of Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra admeasuring 18.55 sq. kms;
    - Integrated Industrial Township Project at Greater Noida, Uttar Pradesh admeasuring 747.5 acres;
    - Integrated Industrial Township Project at Ujjain, Madhya Pradesh admeasuring approx. 1100 acres.

2. The land Allotment policies have been finalized. 2 plots in Dholera Special investment Region in Gujarat, 4 plots in Integrated Industrial Township in Uttar Pradesh, 1 plot in Integrated Industrial Township Vikram Udyogpuri in Madhya Pradesh and 56 plots in Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra have been allotted;

3. Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed for Krishnapatnam Node in Andhra Pradesh and Tumakuru Node in Karnataka and project SPV's have also been incorporated;

4. Apart from the above highlighted projects, project developmental activities are also being taken forward for the following projects:

    - Mass Rapid Transit System (MRTS) Project from Gurgaon to Bawal in Haryana and Ahmedabad to Dholera in Gujarat;
    - Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) Project, Nangal Chaudhary at Haryana;
    - Global City Project at Haryana;
    - Multi Modal Logistics Hub (MMLH) and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Dadri, Uttar Pradesh;
    - Multi Modal Logistics Park at Sanand in Gujarat;
    - Greenfield International Airport Project at Dholera in Gujarat;
    - Aerotropolis Project at Rajasthan;

The state-wise progress of DMIC Project is as under: -

GUJARAT

Dholera Special Investment Region (DSIR):

- Preliminary Engineering works for various trunk infrastructure components has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- SPV by the name of "Dholera Industrial City Development Limited" has been incorporated. State Govt. has transferred 2245.08 Ha to the SPV and matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust) amounting to Rs. 1294.23 crore;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Activation Area of Dholera for Rs. 2784.82 crore divided into five packages, the individual status is indicated as under:
    - EPC for Roads and Services Contract (INR 1,734 crore) awarded. L&T is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto December 2018 – 55.20%;

- EPC for BEC Building Contract (INR 72.31 crore) awarded. Cube Construction Engineering Ltd. is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto December 2018 – 91.70%;
- EPC for Water Treatment Plant (WTP) Contract (INR 90 crore) awarded. SPML is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto December 2018 – 16.37%;
- EPC for Sewage Treatment Plant (STP) Contract (INR 54 crore) awarded. L&T is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto December 2018 – 37.55%;
- EPC for Central Effluent Treatment Plant (CETP) contract (INR 160 crore) awarded. L&T is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto December 2018 – 11.13%;

- ICT consultants have been appointed and the process of selection of Master System Integrator (MSI) is in progress;
- Land allotment policy finalized;
- Plots have been allotted to Torrent Power (20.78 acres-) and Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (5.93 acres) for setting up of Power distribution substation and a fuel station;
- GERC has issued power distribution license to Torrent Power Limited on 14th Aug 2018 for DSIR.
- Road shows and round table conferences are being organized to create awareness and to attract anchor tenants/ investors.
- MoEF&CC has issued Environment Clearance of Dholera Special Investment Region in favour of DMICDC vide letter dated 19th September, 2014, further MoEF&CC has transferred the EC from DMICDC to DSIRDA vide letter dated 15th June, 2017.
- Stage- I Forest Clearance (Working Permission) for Forest Diversion Proposal of WTP to MBR (P) along SH6 1.16Ha has been obtained from MoEF&CC on 24th January, 2018.
- Stage-II Forest Clearance (Final Approval) for Forest Diversion Proposal of Pipli to WTP along SH6 (1.25Ha) has been obtained from MoEF&CC on 10th May, 2018.
- MoEF&CC has approved Terms of Reference (TOR) for 6 lane Expressway from Ahmedabad to Dholera vide letter dated 11th June, 2018. EC application / CRZ application for Ahmedabad – Dholera expressway project is under process.

Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat (500 acres):

- Techno-Economic Feasibility Study (TEFS) is under preparation by the Project consultants;
- The connectivity plan for the proposed project has been prepared and the same has been presented to the State Govt., DFCCIL & MOR for review and approval;
- State Govt. has been requested to initiate the steps for formation of the SPV;

MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- DPR for MRTS prepared and approved by the State Govt.;
- Project has been included in JICA Rolling Plan for DMIC Project;

- Land acquisition for the MRTS Project will be initiated as part of RoW of expressway project. DPR for Expressway Project between Ahmedabad and Dholera is being prepared by the consultant appointed by NHAI.

Greenfield International Airport at Dholera in Gujarat:

- Consortium of M/s PwC has been appointed as the Transaction Advisor;
- Environment Clearance has been obtained from MoEF&CC. Ministry of Civil Aviation has granted "in principle" clearance to the project;
- State Govt of Gujarat has agreed to make available 1426 Ha of land on lease rent of Rs. 1 per annum for 30 years further expandable to another 30 years;
- Board of AAI has approved DPR and the proposal of 51% equity participation in the project;

Bhimnath Dholera Rail Line Project:

- The Board of SPV-DICDL has approved the estimated cost of the project as finalised by Western Railways during the meeting held on 6th September, 2017;
- The project will be implemented by DICDL as per the Non-Govt. Railway (NGR) model of MoR. The project will be implemented as a joint venture between NICDIT and Govt. of Gujarat and project cost will be funded by 100% equity;
- Aarvee consultants has been appointed for preparation of DPR for detailed design for the rail link project.

MAHARASHTRA

Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA):

- Preliminary Engineering works for Phase-1 of SBIA (8.39 sq. kms) has been completed;
- Programme Managers, are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- Node/City level SPV by the name "Aurangabad Industrial Township Limited" (AITL) has been incorporated. State Govt. has transferred 8.39 sq kms to the SPV and the matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)) amounting to Rs. 602.80 crore;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Shendra Industrial Area for Rs. 1533 crore. Further the individual status of various packages is indicated as under:
  - EPC for Roads, Drains, Culverts, Water Supply, Sewerage and Power systems awarded (INR 656.89 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC Contractor. Physical progress upto December 2018 – 83.99%;

- EPC for construction of Road over Bridges awarded (INR 69.45 crore). Patil Construction and Infrastructure Ltd is the EPC Contractor. Physical progress upto December 2018 – 68.28%;
- EPC for District Administration Building (INR 129 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC Contractor. Physical progress upto December 2018 – 97.40%;
- EPC for Sewerage Treatment Plant (STP), Common Effluent Treatment Plant (CETP) & Solid Waste Management (INR 72.52 crore). Passavant Energy is the EPC Contractor. Physical progress upto December, 2018 – 13.00%;
- EPC for Landscape and Irrigation Works (INR 112 crore). Shapoorji Palloni is the EPC Contractor and work is in progress;
- ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). Honeywell is the selected agency. Physical progress upto December 2018 – 41.75%;

- Land allotment policy finalized and 56 plots have been allotted including industries in the Shendra Industrial Area. Hyosung Corporation is the First Anchor Investor in Shendra Industrial Area (land allotted – 100 acres);
- Project developmental activities for Bidkin are being taken forward and trunk infrastructure packages worth INR 6414.21 crore have been approved by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) [formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)] and subsequently by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA);
- State Govt. has transferred 1376.81 Ha to the project SPV for Bidkin Industrial Area and matching equity has been released amounting to INR 1149.90 crore;
- L&T has been appointed as the EPC Contractor (INR 1223 crore) for Phase-1 i.e. 10 sq. kms for roads and underground utilities/services & work is in progress. Physical progress upto December 2018 – 77.08%;
- Environment Clearance for Shendra-Bidkin Industrial Area has been granted by MoEF&CC;

Dighi Port Industrial Area:

- State Govt. has acquired the land for phase-1 i.e. 3000 Ha.
- M/s Egis has been appointed for carrying out Detailed master planning and preliminary engineering activities .

MADHYA PRADESH

Pithampur Dhar Mhow Investment Region:

State Support Agreement (SSA) and Shareholder's Agreement (SHA) has been executed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT), and State Govt. of Madhya Pradesh/MPTRIFAC for node/city level.

Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain:

- Land admeasuring 1100 acres has been transferred to the project SPV and the matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- The agreement on "Supply of water from Water supply pipeline from Ujjayini to Ujjain to Industrial area Vikram Udyogpuri Ltd. in Ujjain" has been signed between with Narmada Valley Development Authority (NVDA) and Vikram Udyogpuri Ltd. to meet the water requirement of the project.
- AECOM, the Program Management Consultants is supervising the construction related activities;
- A consortium of SPML and OM Metals, the EPC Contractor is undertaking the implementation of various trunk infrastructure components. Physical progress of works upto December 2018 – 77.00%;
- Land allotment policy finalized and one plot (12 acres) has been allotted to Panchmahal Dist. Co-operative Milk Producers Union Ltd.,
- Road shows and round table conferences have been organized to create awareness and attract investors.

Water Supply Project for Pithampur Industrial Area:

- SPV by the name of DMIC Pithampur Jal Prabandhan Company Limited (DMIC PJPCL) has been incorporated between State Govt. and National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Project cost of INR 306.55 crore has been approved and matching equity of INR 17.15 crore has been released by Trust;
- Consultants have been appointed to oversee the construction related activities;
- L&T has been appointed as the EPC contractor for Rs. 219 crore and work is in progress. Physical Progress: 83%;
- NICDIT has approved the proposal submitted by the Govt. of M.P. to acquire 49% equity share holding of NICDIT in DMIC Pithampur Jal Prabandhan Ltd.

HARYANA

Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary:

- Land admeasuring approx. 886 acres has been identified in District Mahendergarh for the project;
- The project SPV has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- The master planning for the project has been completed and approved by the State Govt.;

- CCEA has approved the project with financial sanction of Rs. 1029.49 crores for development of Phase I and "In-Principle" approval for development of Phase II of the project
- State Govt. has transferred. 639 acres out of the total land and equity amounting to Rs. 191.67 crore has been released by NICDIT
- The project has been posed for debt funding from Asian Infrastructure Investment Board (AIIB) to NICDIT.

Global City Project:

- The Project SPV has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- The Master Plan has been completed and approved by the State Govt.;
- Activities related to preliminary engineering of internal infrastructure components is underway and tender documents for appointment of EPC contractor(s) are being finalized;
- The State Environment Impact Assessment Authority, Haryana has approved Terms of Reference (TOR) for EIA study for development of Global city under MBIR and Integrated Multi Modal Logistics Hub in Haryana state under DMIC.

Mass Rapid Transit System (MRTS) Project:

- State Government has approved the Final DPR;
- Project SPV has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- Land is in possession of the State Govt.;
- The project has been included in the JICA Special Rolling Plan for DMIC Project;

UTTAR PRADESH

Integrated Industrial Township Project at Greater Noida:

- Preliminary engineering activities have been completed and SPV by the name of "Integrated Industrial Township Greater Noida Limited" has been incorporated;
- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the Project SPV and the matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Shapoorji Pallonji has been appointed as the EPC Contractor for INR 426 crore for undertaking the implementation of various trunk infrastructure components and work is in progress; Physical progress of work upto December 2018 – 87.57%
- SIEMENS has been appointed as EPC Contractor for INR 121 Crorein Jan-2018 for power distribution works within the site and work is under progress;
- Land allotment policy finalized;
- 152 acres of land allotted to the following 4applicants:
    - Haier: 123 .7 acres

- Satkriti Infotech: 9.8 acres
- Forme: 3.5 acres
- Starion: 15 acres

- Road shows and round table conferences were organized.

Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida:

- The SPV for Integrated Industrial Township Project will be implementing the MMLH and MMTH project as well;
- "In-Principle" approval has been given by NICDIT Board on the Preliminary Design Report for a cost of 4034 cr. including land.
- Detailed Project Report (DPR) is under preparation;
- Discussions have also been initiated with DFCCIL so as to provide connectivity to the site from Western and Eastern DFC;
- Memorandum of Understanding has been approved by Indian Railways and will be executed shortly;
- State Govt. has informed that 80% land is in their possession and balance land is being acquired expeditiously;
- The project has been posed for debt funding from Asian Infrastructure Investment Board (AIIB) to NICDIT.

RAJASTHAN

Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan:

- Master Plan has been notified;
- Land acquisition process has been initiated by State Government;
- Rajasthan Special Investment Region Act has been notified by State Government for enabling execution of SHA & SSA;

Greenfield International Airport at Rajasthan:

- Site Clearance accorded by MoCA;
- The Detailed Project Report (DPR) has been submitted by Airport Authority of India (AAI).
- The Terms of Reference (TOR) for carrying out the EIA study for the proposed Bhiwadi International Airport, District Alwar, Rajasthan has been approved by the MoEF&CC. Rajasthan State Pollution Control Board has conducted public hearing in September 2018;
- Airport Authority of India has submitted Final DPR on 31st October, 2018.

Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA):

- Master Plan has been notified;

- State Govt. has been requested to expedite the land acquisition.
- The Environment Clearance for the Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA) project in Rajasthan has been granted by the MoEF&CC .

SMART COMMUNITY PROJECTS:

A) Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The 05MW Solar Power Plant has been commissioned on 03rd September, 2015. The power is feeding to State Grid (i.e. 220KV GSS Neemrana) at the agreed tariff of Rs. 8.77/- per unit as per the Power Purchase Agreement (PPA) with NVVN Limited.
- The Power Purchase Agreement (PPA) for 01MW Micro Grid Solar Power Plant has been executed with MIKUNI India Private Limited on the basis of fixed tariff of Rs. 11.99/- per unit for the period of 10 years on 17th May, 2016.
- Generation of power from 01MW Micro Grid Solar Power Project for feeding high quality, stable and renewable green power to MIKUNI India Private Limited has started from 10th July 2017.

B) Logistic Data Bank Project:

- Operations initiated at JNPT Port with effect from 01st July, 2016 and new port terminal namely Bharat Mumbai Container Terminal at JNPT port with effect from 01st April 2018.
- Operations have also been successfully launched across all container terminals at APSEZ Mundra (Adani Port Special Economic Zone) & AHPPL Hazira (Adani Hazira Port Pvt. Ltd) in Gujarat from 01st May, 2017;
- More than 12 million containers have been tagged/de-tagged till 31st January 2019;
- To expand LDB services at pan India level the agreements have been signed with Tuticorin Port Trust, Visakhapatnam Port Trust, Chennai Port Trust, Mormugao Port Trust, Paradip Port Trust, Mumbai Port Trust, New Mangalore Port Trust, Kattupalli Port Private Limited, Krishnapatnam Port, Ennore Port Limited, Kolkata Port Trust, Halida, Cochin Port Trust.

OTHER PROJECTS:

India International Convention and Expo Centre (IICC) at Dwarka, Delhi:

- Cabinet has accorded its approval and Project Steering Committee has been constituted to steer the project;
- SPV for the project has been formed in the name of India International Convention and Exhibition Centre Limited.
- Possession of land has been taken over from DDA by DPIIT;
- AECOM has been appointed as Programme Management Consultants to undertake various project development activities;

- L&T has been appointed as EPC contractor for the development of Phase 1 components (Rs 2791 cr.), Physical progress of works upto December 2018 – 30.45%;
- DMRC has taken over the possession of remaining 0.1368 Ha land parcel after making due payment to the land owners on 18th July, 2018.
- Other project development activities are being taken forward in consultation with stakeholders like Delhi Development Authority (DDA), Airport Authority of India (AAI), Delhi Jal Board (DJB), Delhi Transco Limited (DTL), National Highways Authority of India (NHAI) etc.;
- Memorandum of Understanding has been signed with DMRC for extension of Airport Express Line to IICC Project and construction work is going on in full swing;
- AAI has given its "No Objection Certificate" on the Building Heights proposed for the project;
- South Delhi Municipal Corporation (SDMC) has granted approval on the building layout and Delhi Fire Services has granted NOC on the building layout plans for phase – 1 development;
- HVPNL & BSES Rajdhani Power Ltd. have completed the work of shifting of HT Lines which were passing through the site;
- Regular review meetings are being held to monitor the progress of the project;
- Boston Consulting Group has been appointed as Commercialization, Planning & Transaction Advisor and a consortium of IDOM (Spain) & CP Kukreja Architects has been appointed as Preliminary Engineering and Architectural Consultants;
- A consortium of Korea International Exhibition Centre and eSang Networks Company Ltd. has been appointed as the Operator for Exhibition and Convention Centre and Operator Services Agreement for a term of 20 yrs;
- IDBI Capital Markets & Securities Ltd. has been appointed as Financial Advisor for raising loans;
- National Council for Cement and Building Materials has been appointed for Consultancy Services for "Third Party Quality Assurance and Audit" (TPQA);
- Foundation Stone Laying Ceremony was performed on 20th September 2018 by Hon'ble Prime Minister of India.

OTHER INDUSTRIAL CORRIDORS:

A. CHENNAI BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (CBIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and three nodes have been identified for development:
  i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh;
  ii. Tumakuru, Karnataka; and
  iii. Ponneri, Tamil Nadu.

i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV by the name of 'NICDIT Krishnapatnam

Industrial City Development Limited' has been incorporated on 07th August, 2018.

- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities have been finalized.
- Letter of Award to L&T has been issued for consultancy services for Environmental Impact Assessment;

ii. Tumakuru, Karnataka:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV i.e. CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd. has been incorporated on 1st November, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are in progress;

iii.Ponneri, Tamil Nadu:

- Final concurrence of the State Govt. on the institutional and financial structure approved by the Govt. of India for industrial corridor projects is awaited;

B. AMRITSAR KOLKATA INDUSTRIAL CORRIDOR (AKIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and seven Industrial Manufacturing Clusters (IMCs) have been identified for development under phase-I. These IMCs are Rajpura-Patiala (Punjab), Gohna (Haryana), Prag-Khurpia Farms (Uttakakhand), Bhaupur (Uttar Pradesh), Gamhariya (Bihar), Barhi (Jharkhand) and Raghunathpur (West Bengal);
- Concept Master Plans for all the identified IMCs have been finalized;
- The respective State Govt(s). are in the process of acquiring land for Rajpura-Patiala (Punjab), Gohna (Haryana), Prag-Khurpia Farms (Uttakakhand), Bhaupur (Uttar Pradesh), Gamhariya (Bihar), and Barhi (Jharkhand) IMCs.

i. Raghunathpur, West Bengal

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being finalized with the state government.
- Land parcel of 2483 acres is under the possession of State Govt. of West Bengal.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are in progress;

Awards and recognitions for Smart cities under DMIC Project

<u>Dholera Smart City:</u>

1. Geospatial Excellence Award, March 2016
2. Bentley "Be Inspired", March 2016
3. IGBC Green City Rating "Platinum", Sept 2016
4. Best City for Integrated Planning, Feb 2017
5. Best Green City, Feb 2017
6. Best Innovative Greenfield Industrial Township Project, Feb 2019

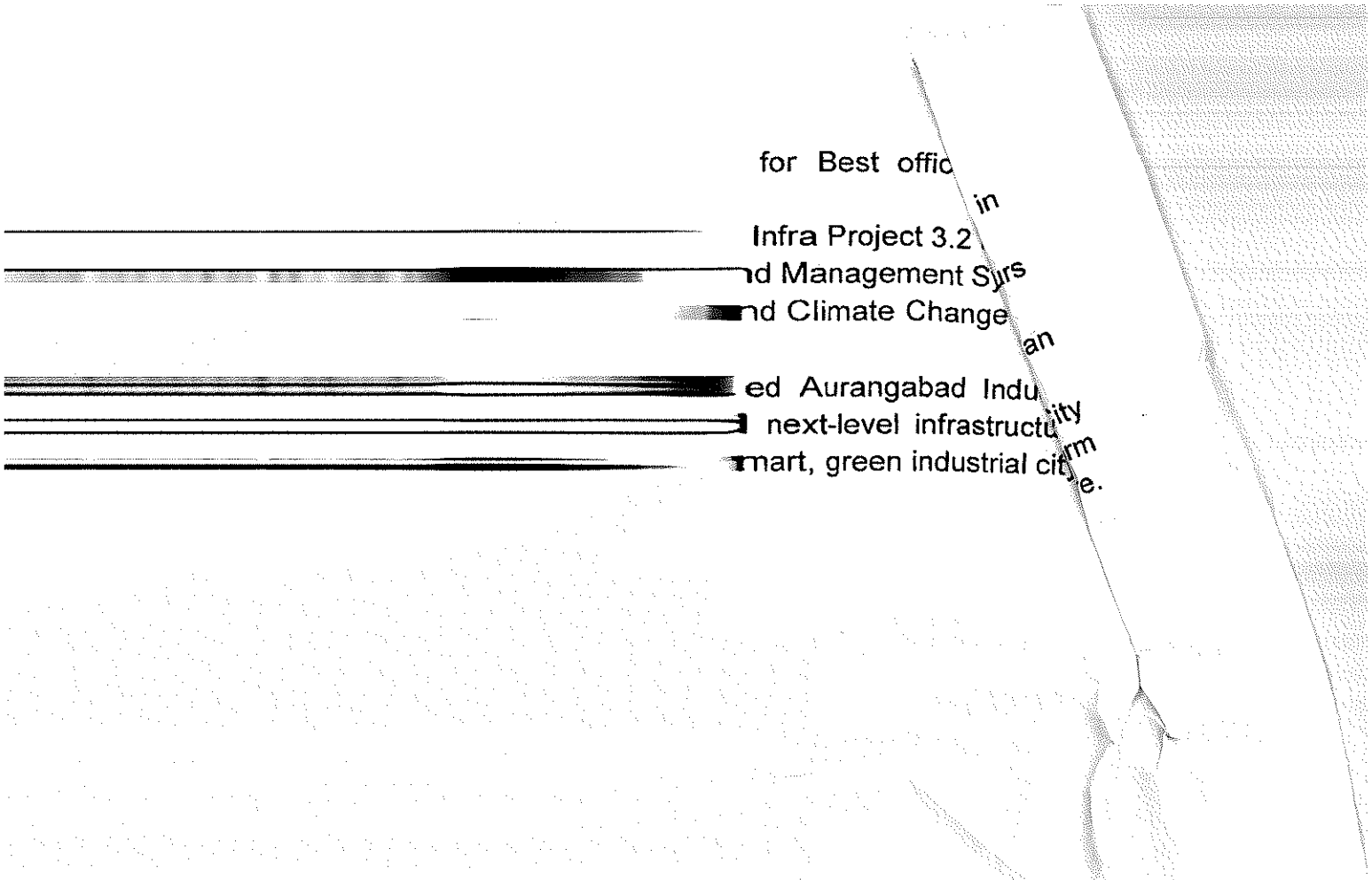
for Best offic
in
Infra Project 3.2
d Management Sys
nd Climate Change
an
ed Aurangabad Indu
next-level infrastructu
ity
mart, green industrial cit
rm
e.

Financial Results Summary

During the Financial Year 2017-18, a sum of Rs. 801.37 crore was released by GOI towards the main corpus of the Trust.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in crore)

Particulars	FY 2017-18 (Audited)	FY 2016-17 (Audited)
Corpus / Capital Fund*	3727.00	3014.77
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	3473.62	2308.60
Current Assets	253.51	706.19
Earmarked Funds*	Nil	Nil
Current Liabilities	0.13	0.03
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Gross Income	13.53	36.72
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	(1.59)	32.85

*"Grant-in-aid (General)" earmarked to be given to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited as grant-in-aid to carry out project development activities were shown under "Earmarked / Endowment Funds" upto the Financial year 2015-16.

As per the observation of the Comptroller and Auditor General of India, "General" earmarked to be given to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited as grant-in-aid to carry out project development activities is shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund" in place of "Earmarked / Endowment Funds" from the FY 2016-17.

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a period of 5 years from the year 2017-18 to 2021-22 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted annual accounts audit for the financial year 2016-17.

Separate Audit Report on the Annual Accounts of NICDIT for the Financial Year 2017-18 has been issued by C&AG.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2017-18.

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, DMICDC Limited shall act as Chief Executive Officer ("CEO") of NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, his gratitude and appreciation to all Trustees for their continued support, co-operation and contribution in the Trust.

***For* National Industrial Corridor Development and Implementation Trust**

(Alkesh K. Sharma)
Chief Executive Officer

Place : New Delhi
Date : 28-June-2019

संख्या / No.

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

विषयः- नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैंट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट के वर्ष 31 मार्च 2018 के वार्षिक लेखाओ पर भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैंट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट के वर्ष 2017-18 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ ।

कृपया यह सुनिष्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार अवशय प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियॉ उस तिथि को दर्षाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए ।

भवदीया,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता०
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

संख्या : PDCA-1/ND/CHQ/29-62/18-19/ 1226 दिनॉक : 29/1/19

प्रतिलिपीः-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैंट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट, कमरा संख्या-341 तीसरी मंजिल, होटल अशोक, नई दिल्ली-110021 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है ।

29.1/XIX
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432,011-23370871
e-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2018

We have audited the attached Balance Sheet of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (Trust) as at 31 March 2018 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No.1 (27)-B(R)/2013 dated 1 September 2014. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as required under clause 13.1 of the Deed of Trust dated 27 September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

Grants-in-aid

Status of Grants-in-aid under Project Implementation Fund and Project Development Fund was as under (as per information furnished by Management):

(₹ in crore)

Particulars	**Project Implementation Fund (For creation of capital assets)**	**Project Development Fund (to carry out project development activities)**
Opening Balance	589.57	81.29
Add :Grants received during 2017-18	801.37	-
Adjust : Amount transferred from Project Implementation Fund to Project Development Fund	(4.37)	4.37
Add: Interest earned during 2017-18	5.48	1.39
Add: Loan repayment by DMICDC Neemrana Solar Power Co. Ltd.	6.65	-
Add: Income tax refund	2.79	0.52
Add: Amount received towards reimbursement	0.27	-
Total amount available	**1401.76**	**87.57**
Less:- Amount utilised	1373.40	87.55
Closing Balance as on 31.03.18	28.36	0.02

(v) We report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a) In so far as it is related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as at 31 March, 2018 and

b) In so far as it related to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Prachi Pandey
29.1.2019

(Prachi Pandey)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-I,
New Delhi

Place: New Delhi

Dated: 29 January 2019

Annexure

(to Separate Audit Report on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2018)

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   Internal Audit for the year 2017-18 was conducted by a Chartered Accountancy firm.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   Internal control system is commensurate with the size of the organisation.

3. **System of Physical Verification of Fixed Assets**

   Trust is not having any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of Inventory**

   Trust is not having any inventory.

5. **Regularity in payment of statutory dues**

   Trust was generally regular in payment of statutory dues.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
as at 31st March, 2018

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2017-18	2016-17
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	37,26,99,54,627	30,14,76,73,164
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	12,67,341	2,50,250
Total		**37,27,12,21,968**	**30,14,79,23,414**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	34,73,61,72,881	23,08,59,98,000
Current Assets, Loans, Advances etc.,	4	2,53,50,49,087	7,06,19,25,414
Total		**37,27,12,21,968**	**30,14,79,23,414**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of this Balance Sheet.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Ramesh Abhishek)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 10-Oct-2018

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2018

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2017-18	2016-17
INCOME			
Interest Earned	5	13,23,35,360	36,66,11,974
Other Income	6	29,79,496	5,41,530
Total (A)		**13,53,14,856**	**36,71,53,504**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	15,12,06,393	3,86,56,857
Total (B)		**15,12,06,393**	**3,86,56,857**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		(1,58,91,537)	32,84,96,647
Transfer to Additional Corpus		1,50,80,947	8,16,79,367
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**(3,09,72,484)**	**24,68,17,280**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of this Balance Sheet.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Ramesh Abhishek)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 10-Oct-2018

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPT AND PAYMENT
for the year ended 31st March 2018

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2017-18	2016-17	PAYMENTS	2017-18	2016-17
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	15,02,92,802	3,85,68,000
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	16,48,662	50,06,951	**II. Payments made for various projects**		
ii) In Deposit Accounts	6,70,70,29,237	5,48,92,25,530	a) Out of Main Corpus		
			Release of loan to:	3,60,00,000	1,00,00,000
II. Grants Received			i) DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited		12,75,00,000
a) From Government of India for Main Corpus	8,01,37,00,000	4,95,49,00,000	ii) DMICDC Logistics Data Services Limited	1,32,54,00,000	
b) From Government of India for Additional Corpus	-	-	iii) DMIC Vikram Udyogpuri Limited		
			b) Out of Additional Corpus		
III. Income on Investments from			- Release of Grant-in-aid to DMICDC Ltd.	87,55,27,000	76,50,00,000
a) Main Corpus	-	-	**III. Investments and deposits made**		
b) Additional Corpus	-	-	a) Out of Main Corpus	11,65,01,74,881	3,22,86,48,000
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress**	-	-
a) On Bank Deposits (net of TDS)	2,63,82,982	35,98,79,394			
b) On Saving Accounts	1,86,53,546	22,83,475	**V. Refund of Surplus money/Loans**	-	-
c) On Loans and Advances (net of TDS)	2,06,87,765	72,74,600			
V. Other Income			**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
a) Main Corpus	25,15,742	4,11,219			
b) Additional Corpus	4,63,754	1,30,311	**VII. Other Payments**		
			Expenses incurred for SPVs	-	26,50,785
VI. Amount Borrowed	-	-	Expenses incurred for IICC Ltd	57,20,82,739	-
VII. Any Other Receipts			**VIII. Closing Balances**		
Repayment of Loan by DMICDC Neemrana Solar Power Co. Ltd.	6,64,89,756	5,70,10,244	a) Cash in Hand	-	-
Income Tax Refund	3,31,05,504	49,22,960	b) Bank Balances		
Reimbursement of expenses incurred for SPV	26,50,785	-	i) In Saving Accounts	97,29,855	16,48,662
			ii) In Deposit Accounts	27,41,20,456	6,70,70,29,237
Total	**14,89,33,27,733**	**10,88,10,44,684**	**Total**	**14,89,33,27,733**	**10,88,10,44,684**

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Ramesh Abhishek)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 10-Oct-2018

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2018

(Amount - ₹)

Particulars		2017-18	2016-17
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		29,30,18,90,510	23,97,01,73,23.
Add: Amount released to DMICDC Limited for onward investment in DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		-	13,00,00,00.
		29,30,18,90,510	**24,10,01,73,23.**
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		8,01,37,00,000	4,95,49,00,00
Add / (Less): Interest relating to PDF relating to earlier years accounted for as PIF now rectified		(11,43,042)	-
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		(3,09,72,484)	24,68,17,28
Add / (Less): Amount transferred to Additional Corpus*		(4,37,00,000)	-
Balance at the year end (A)		**37,23,97,74,984**	**29,30,18,90,510**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR DMICDC LIMITED			
Balance at the beginning of the year		2,24,89,00,000	2,24,89,00,000
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds		-	-
Add: Amount transferred from Main Corpus*		4,37,00,000	
	(a)	2,29,26,00,000	2,24,89,00,00
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- During the Previous Years		36,00,82,654	27,84,03,287
Add / (Less): Interest relating to PDF relating to earlier years accounted for as PIF now rectified		11,43,042	-
- During the Current Year		1,50,80,947	8,16,79,36.
	(b)	37,63,06,643	36,00,82,654
	(a) + (b)	**2,66,89,06,643**	**2,60,89,82,65**
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to DMICDC Ltd.			
- During the Previous Years		1,76,32,00,000	99,82,00,00
- During the Current Year		87,55,27,000	76,50,00,00
	(c)	2,63,87,27,000	1,76,32,00,00
Balance at the year end [B = (a) + (b) - (c)]		**3,01,79,643**	**84,57,82,65**
Grand Total (A + B)		**37,26,99,54,627**	**30,14,76,73,16.**

* Amount received from DIPP towards non-recurring Grant for creation of Capital Assets for transferring these funds to Del Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited for undertaking pre-project activities of Exhibition-cun Convention Centre Project at Dwarka, New Delhi. Accordingly, funds were transferred to DMICDC Limited against pre-proje expenses of Exhibition-cum-Convention Centre Project at Dwarka, New Delhi.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2018

(Amount - ₹)

Particulars		2017-18	2016-17
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1. Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others		9,47,341	36,750
2. Statutory Liabilities			
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		5,000	13,500
3. Other Current Liabilities		-	-
	(A)	9,52,341	50,250
2.1. PROVISIONS			
1. Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,50,000	1,00,000
- Previous Years		1,65,000	1,00,000
	(B)	3,15,000	2,00,000
Total (A + B)		**12,67,341**	**2,50,250**
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
- Investment in Equity Shares of M/s Pithampur Jal Prabandhan Company Limited		17,15,00,000	17,15,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s Vikram Udyogpuri Limited		55,93,00,000	55,93,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s Integrated Industrial Township Greater Noida Limited		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s Aurangabad Industrial Township Limited		14,52,70,00,000	6,02,80,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s Dholera Industrial City Development Limited		12,94,22,74,881	9,83,50,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s DMICDC Logistics Data Services Limited		4,01,98,000	4,01,98,000
- Investment in Equity Shares of M/s DMICDC Haryana Global City Project Limited		5,00,00,000	5,00,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s DMICDC Haryana MRTS Project Limited		5,00,00,000	5,00,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s DMICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited		5,00,00,000	5,00,00,000
- Investment in Equity Shares of M/s Dholera International Airport Company Limited		4,39,00,000	-
(b) Others			
- Release of Funds to DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of M/s DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**34,73,61,72,881**	**23,08,59,98,000**

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2018

(Amount - ₹,

Particulars		2017-18	2016-17
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		27,39,85,456	5,89,50,14,23
- Additional Corpus		1,35,000	81,20,15,000
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		96,89,202	8,86,168
- Additional Corpus		40,653	7,62,49
	(A)	**28,38,50,311**	**6,70,86,77,89**
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1. Loans and Advances:			
To DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited		3,60,00,000	6,64,89,756
To DMICDC Logistics Data Services Limited		12,75,00,000	12,75,00,00
To DMIC Vikram Udyogpuri Limited		1,32,54,00,000	-
2. Interest Accrued on Deposits with Bank:			
(a) Main Corpus		81,66,889	8,98,749
(b) Additional Corpus		2,967	3,17,21
3. Interest Accrued on Loans and Advances:			
From DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited		-	41,89,57
From DMIC Vikram Udyogpuri Limited		5,24,80,593	-
4. Others:			
(a) Tax Deducted at Source			
- Main Corpus		9,94,62,984	11,75,15,12
- Additional Corpus		3,00,99,869	3,37,89,81
(b) Other Loans and Advances*		57,20,85,474	25,47,28
	(B)	**2,25,11,98,776**	**35,32,47,51**
Total (A + B)		**2,53,50,49,087**	**7,06,19,25,41**

* Includes:

(i) Rs. 52,20,82,739/- received vide DIPP sanction order no. P-40019/4/2017-ID-I(Part) dated 6th March, 2018 f transferring these funds to India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC) for meeting th expenditure of Exhibition cum Convention Centre Project at Dwarka, New Delhi and the same has been replenished . IICC Limited to NICDIT on 3rd April, 2018; and

(ii) Rs. 5,00,00,000/- transferred to IICC Limited on behalf of Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Minist of Commerce and Industry, Govt. of India as per their letter no. P-40022/67/2017-ID-I dated 08.12.2017 towards th initial paid-up share capital of IICC Limited and the same has been replenished by DIPP to NICDIT vide sanction ord no. P-40019/4/2017-ID-I(Part) dated 11th May, 2018.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

NOTES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
for the year ended 31st March 2018

(Amount - ₹)

Particulars	2017-18	2016-17
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
(1.) On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	2,24,36,155	27,00,62,318
[TDS for Current Year - ₹ 22,36,235/- (Previous Year - ₹ 2,46,89,919/-)]		
(b) Additional Corpus	1,46,02,569	8,15,28,205
[TDS for Current Year - ₹ 14,62,881/- (Previous Year - ₹ 82,14,272/-)]		
(2.) On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	1,86,38,922	22,62,624
(b) Additional Corpus	14,624	20,851
(3.) On Loans:	7,66,43,090	1,27,37,976
[TDS for Current Year - ₹ 76,64,310/- (Previous Year - ₹ 12,73,798/-)]		
Total	**13,23,35,360**	**36,66,11,974**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	25,15,742	4,11,219
(b) Additional Corpus	4,63,754	1,30,311
Total	**29,79,496**	**5,41,530**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
Service Fees	15,04,58,063	3,82,51,300
Auditors Remuneration		
- Current Year	1,65,000	1,00,000
- Previous Years	60,640	1,21,641
Advertising Expenses	2,25,277	-
Expenses on Filling Fees	1,11,990	12,690
Professional and Consultancy Fees	68,800	58,350
Meeting and Conference Expenses	1,11,837	-
Others		
- Misc. Expenses	4,786	1,12,876
Total	**15,12,06,393**	**3,86,56,857**

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

2.0 Long-term Investments

Long-term investments are shown at actual cost including the cost incidental to acquisition.

3.0 Fixed Assets

3.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

3.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

3.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

3.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

4.0 Government Grant

4.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i.) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited as grant-in-aid to carry out project development activities shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

4.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

5.0 Revenue Recognition

5.1 Income is recognised on accrual basis.

5.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

6.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

7.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by DMICDC Limited @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

8.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currency / transactions are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

9.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Statement account on accrual basis.

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

DIPP vide order no. 11/1/2016 dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022.

During the year, a sum of ₹ 801.37 crore (Previous Year ₹ 495.49 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and Nil (Previous Year Nil) towards the Additional Corpus for passing on to DMICDC Limited.

The Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to DMICDC Limited out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited" towards 100% equity investment of Trust through DMICDC Limited for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through DMICDC Limited. The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the F Yr 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.

The corresponding disclosure has been made under the head "Investment".

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Change in Accounting Policy

The Accounting Policies with respect to Fixed Assets, Foreign Currency Transactions and Leases have been modified during the previous financial year i.e., FY 2016-17 in accordance with the suggestion of Audit Team from the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

However, there was no financial implications due to the modification carried out in the respective policies as the Trust had not undertaken any transaction relating thereto.

5.0 Employees Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employees' benefit including retirement benefit is Nil (Previous Year NIL).

6.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

8.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

9.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August, 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

10.0 Foreign Currency Transactions

		Amount (₹) 2017-18	Amount (₹) 2016-17
10.1	Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
10.2	Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

11.0 Remuneration to Auditors

11.1	Audit Fees		
	- For Current Year	1,65,000	1,00,000
	- For earlier Financial Years	60,640	1,21,641
11.2	For Taxation Matters	-	-
11.3	For Other Services	-	-

12.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by DMICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by DMICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of DMICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out, have been disclosed as from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of DMICDC Limited.

13.0 Receipts and Payments Account

The Receipts and Payments Account is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

14.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

15.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Ramesh Abhishek)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 10-Oct-2018